जागरण का मार्ग

सम्पादक

लल्लीप्रसाद पाण्डेय

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

१९४६

मूल्य १)

प्राक्कथन

यह पुस्तक प्रौढ ग्रामीण जनता के लिए प्रस्तुत की गई है। बालकों और प्रौढ नव-शिक्षितो की पाठ्य-सामग्री एक नही हो सकती। उनके मानसिक तथा भावात्मक विकास मे अतर है। उनकी जानकारी और आवश्यकताएँ भी अलग-अलग है। पाठ्य-सामग्री के संकलन मे यह ध्यान विशेष रूप से निर्देशक रहा है। अत. इस पुस्तक मे सीधी-सादी भाषा मे अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, जमीदारी, सहकारिता, राज्य-प्रबन्ध आदि आधुनिक विषयो पर कुछ लेखो का समावेश कर दिया गया है।

सास्कृतिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले लेख इस उद्देश्य से रक्खे गये है, जिससे पाठक अंधपरम्परा से बचे रहे परन्तु अपने देश के सास्कृतिक आदर्शों से उनका जीवन दूर न हट जाय।

सफाई आदि आवश्यक विषय कहानी के रूप मे रक्खे गये है, जिससे उनका प्रभाव मनोभावो द्वारा स्थायी हो जाय, वे केवल बौद्धिक विषय न रह जायँ।

पुस्तक का दृष्टिकोण बिलकुल भारतीय और स्वदेश-प्रेम-प्रेरक है। कविताएँ तथा नाटक हृदय को प्रभावित करने तथा मनोरंजन के लिए रक्खे गये है।

इस प्रकार यह पुस्तक छोटे रूप मे ग्रामीण प्रौढ जनता की बौद्धिक, सास्कृतिक तथा भावात्मक आवश्यकताओ की पूर्ति मे सहायक होती है और आधुनिक विषयो का परिचय कराती है।

इस पुस्तक के प्रस्तुत करने मे मुझे अपने कई मित्रो से सहायता लेनी पडी है। इनमे विशेष रूप से कहानी के लिए मै श्री मनबोधनलाल श्रीवास्तव एम० ए०, एल० टी० का, नाटक के लिए श्री विद्यावागीश वत्स का, कविताओ के लिए सर्व श्री पत और निरंकारदेव सेवक एम० ए०, एल० टी०, साहित्य-रत्न का अनुगृहीत हूँ।

—सम्पादक

विषय-सूची

महात्मा गान्धी

भारतमाता

भारतमाता,
ग्रामवासिनी।

खेतों में फैला है श्यामल,
धूल-भरा मैला-सा आँचल,
गङ्गा-यमुना में आँसू-जल,

मिट्टी की प्रतिमा
उदासिनी।

दैन्य-जड़ित अपलक नत-चितवन,
अधरों में चिर नीरव-रोदन,
युग-युग के तम से विषण्ण मन

वह अपने घर में
प्रवासिनी।

स्वर्ण - शस्य पर - पदतल - लुंठित.
धरनी - सा सहिष्णु मन कुंठित,
क्रन्दन - कंपित अधर - मौन स्मित,

राहु-ग्रस्त
शरदिन्दुहासिनी ।

चिन्तित भृकुटि, क्षितिज तिमिरांकित,
नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित,
आनन - श्री छाया - शशि उपमित,

ज्ञान गूढ़
गीता-प्रकाशिनी ।

सफल आज उसका तप - सयम,
पिला अहिंसा - पेय सुधोपम,
हरती जन - मन भय - भव तम भ्रम,

जगजननी
जीवन-विकासिनी ।

———

गाँवों की समस्याएँ

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ के ८० प्रतिशत लोग गाँवों मे रहते है। इससे देश की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सात लाख गाँवों को सुचारु रूप से उन्नत बनाया जाय और जहाँ तक हो सके, यहाँ के रहनेवालों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपनी बिगड़ी हुई दशा को विधि के अक न समझ कर उसको सुधारने का यथासंभव प्रयत्न करें।

प्राचीन काल में हमारे गाँव अत्यन्त उन्नतिशील थे। बड़े-बड़े लोग गाँवों में रहते थे। गाँवों के रहनेवालों को बुरा नही समझा जाता था। उस समय बड़े-बड़े नगर थे भी बहुत कम और साथ ही ग्रामीण जनता काफी उन्नत थी। पर धीरे-धीरे विशेषतः अँगरेज़ों के आने पर गाँवों का सम्पूर्ण ढाँचा ही बिगड़ गया। ग्रामीण पचायतों का ह्रास होते ही वहाँ की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई। ज़मीदारी प्रथा के बदल जाने से ज़मीदार लोग बड़े-बड़े शहरों में रहने लगे तथा गाँवों का काम उनके नौकरों के भरोसे रह गया। विदेशी शिक्षा के प्रचार से पढे-लिखे लोग गाँवों को ओछी निगाह से देखने लगे और पढ लिख कर शहर में ही रहने

लगे। गाँवों के उद्धार का प्रयत्न तो क्या उसके बारे में सोचना तक बन्द हो गया।

लेकिन कॉंग्रेस का ज्यों-ज्यों असर बढ़ता गया, गाँवों की तरफ़ लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता गया। गांधीजी ने इनको उन्नत बनाने का काफी प्रयत्न किया और उन्हीं के प्रयत्नों का यह फल है कि इस समय काँग्रेस का यह विशेष प्रोग्राम है कि ग्रामों का पुनः उद्धार किया जाय। गांधीजी के खद्दर के प्रोग्राम ने गाँवोवालों को रोज़ी का एक नया तरीक़ा बता दिया और उन्हीं के प्रयत्नों से अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसियेशन तथा अखिल-भारतीय-ग्राम-उद्योग संघ गाँववालों के लिए इतना कार्य रहे हैं।

वास्तव में कॉंग्रेस तथा गांधीजी की तो नीति ही यही है कि बड़े-बड़े शहरों की जगह, जहाँ कि लोग गदे और बदबूदार मुहल्लों में रहते तथा बुरी बातों में पड़ कर जीवन नष्ट कर देते है, छोटे-छोटे गाँवों को आबाद किया जाय जो कि हर आवश्यक कार्य की वस्तु को स्वयं अपने गाँव में ही पैदा कर लें।

आजकल गाँवों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। उनके खाने-पीने तक का ठिकाना नहीं है। वे सुबह से शाम तक प्रतिदिन खेतों में काम करते है, फिर भी इतना पैदा नहीं कर सकते कि अपना तथा घरवालों का पेट ठीक से भर सकें। एक तो उनके खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुए हैं, ऊपर से उनके पास अच्छे बीज, सिंचाई, हल, बैल, खाद आदि का कोई अच्छा

इन्तज़ाम नहीं है। नतीजा यह होता है पैदावार बहुत ही कम होती है। जो कुछ पैदा भी होती है उसका बहुत बड़ा भाग मालगुज़ारी चुकाने तथा उधार रुपये की क़िस्त चुकाने में निकल जाता है। परिणाम यह होता है कि वे भर पेट भोजन भी नहीं कर पाते। भारतीय किसान ऋण में पैदा होते, ऋण में ही जीवन निर्वाह करते और ऋण में ही मर जाते हैं। वे कभी ऋण अदा कर ही नहीं पाते। रुपये की कमी के कारण न तो वे अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं और न उनको ठीक ठीक कपड़े ही पहना सकते है। रुपया कमाने की मार इतने ज़ोर की होती है कि वे अपने १०-१२ वर्ष के लड़के को स्कूल भेज ही नहीं सकते, क्योंकि वे आवश्यक हो जाता है कि वह खेत में काम करे।

गाँव में किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि सफ़ाई ठीक की जाय। जहाँ देखिए घर के चारों तरफ़ लोग पेशाब तथा मल त्यागने बैठ जाते है। पशु भी घर के सामने या घर ही में एक कोठरी में पाखाना पेशाब करते रहते है। इस कारण गन्दगी फैलती है जिससे प्रायः बीमारियाँ फैलती है। घर में जगह की कमी के कारण प्रायः देखा गया है कि घर के सभी लोग तथा पशु एक ही कमरे में सोते तथा एक दूसरे की गंदी हवा में साँस लेते रहते है। घरों में कहीं रोशनदान या हवा आने-जाने की जगह नहीं होती। कच्चे मकान होने के कारण किसान लोग उनमें खिड़की भी नहीं निकाल सकते। गाँवों में नालियों का कहीं नामो निशान नहीं होता। जहाँ देखिए गन्दा पानी

इधर-उधर बहा करता है। कभी-कभी तो पीने तथा नहाने का पानी भी एक ही होता है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है। उसी में गाँव के लोग नहाते रहते हैं, गाँवों के मवेशी नहाते हैं और वही पानी पीने के काम भी आता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस गंदे पानी के पीने से नाना प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। यदि गाँवों में कुएँ हुए भी तो प्रायः उन्हीं कुओं के पास बरसाती पानी का गड्ढा होता है। इससे यह होता है कि जमीन की सतह से गदा पानी कुएँ में जा कर वहाँ के पानी को भी गदा कर देता है।

किसान ग़रीब, बिना पढ़े-लिखे तथा गंदे तो होते ही हैं साथ ही उनको दुनिया की कोई जानकारी नहीं होती। न तो गाँवों में उनको कोई नई बात बतानेवाला है, न अख़बार ही गाँवों में जाते है और न वहाँ रेडियो वग़ैरह का प्रबन्ध है। पाश्चात्य सभ्यता से तो वे अनभिज्ञ है ही, धीरे-धीरे प्राचीन हिन्दू सभ्यता तथा सस्कृति भी नष्ट होती जा रही हैं और धार्मिकता की जगह छोटे मोटे अध-विश्वासों ने घर कर लिया है। गाँव के अबोध पंडित भी सीधी ग्रामीण जनता को इन्हीं अध-विश्वासों की शिक्षा दे उल्लू बनाये रखते हैं। इन सब बातों के देखते यह परमावश्यक है कि इन गाँववालों की दशा सुधारी जाय; जहाँ तक हो सके, शिक्षा का प्रचार करके इनको सफ़ाई से रहना सिखाया जाय। इनकी आर्थिक दशा सुधारना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना काफ़ी आमदनी हुए गाँववाले पढ़ाई या सफ़ाई की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकते। यहाँ हम यह बता देना आवश्यक समझते है कि शहरी जनसमूह, जिसकी

उनसे सहानुभूति है, उनका पथ-प्रदर्शक बने और हर प्रकार की उन्नति में उनकी उचित सहायता करें। उन्हें कर्मण्यता का पाठ पढ़ावे। तभी उनका सच्चा सुधार हो सकता है।

ग्रामों की दशा सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले किसान संगठित हों। सहकारी संस्थाऍ स्थापित की जायँ इस तरह की कई समितियॉ बनाई जा सकती है जो गाँव की सफ़ाई, स्वास्थ्य, पढ़ाई, बीमारी आदि की तरफ ध्यान देती है। कुछ समितियाँ तो सामाजिक प्रथाओं के बदलने तक के लिए बन गई है और उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य कर दिखाया है। बिना सहकारी समितियों के गाँवों की दशा सुधरना अत्यन्त कठिन है।

किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों द्वारा खेतों की चकबन्दी शुरू कर दी जाय। पंजाब में ऐसी समितियों ने काफ़ी अच्छा कार्य कर दिखाया है। चकबन्दी से खेत बड़े-बड़े हो जायँगे और फिर किसान सामूहिक रूप से अच्छे-अच्छे सामान लाकर खेतों को जोत सकेंगे। अभी जब कि किसानों के पास दो या तीन बीघे भूमि है, वे स्वय न तो बैल ही रख पाते है और न अच्छे हल ही। चकबन्दी के बाद अच्छे बीजों का प्रबन्ध होना चाहिए। घुने हुए तथा बुरी क़िस्म के बाज़ारू बीजों के बोने से पैदावार काफी घट गई है। इससे आवश्यक यही होगा कि सहकारिक बीज-समितियाँ खोल कर इस गलती

से बचा जाय। अच्छे बैल तथा हल के अलावा यह भी आवश्यक है कि उपज को बेचने का ठीक प्रबन्ध हो। आजकल ग़रीब किसानों को खेत कटते ही, बेचने की फिक्र पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगान देना पड़ता है। एक साथ सभी बेचते हैं जिससे चीज़ों के भाव गिर जाते हैं। जो किसान मंडियों में अपना सामान ले जाते हैं, उनको बुरी तरह लूटा जाता है। कहा जाता है कि जिस वस्तु के लिए उपयोग करनेवाला एक रुपया व्यय करता है उसमें किसान को सिर्फ़ साढ़े नौ आने मिलते हैं; बाक़ी बीच के लोग खा जाते है। अतएव, यह आवश्यक है कि आवश्यकतानुसार ग्राम-ग्राम सहकारिक-क्रय-विक्रय समितियाँ खोली जायँ जो ख़रीदने तथा बेचने का सब कार्य करें।

खेतों की पैदावार बढ़ाने के अलावा यह आवश्यक है कि किसान घरेलू उद्योग-धन्धों को भी सीखें जिससे उनकी आमदनी बढ़े। कहा जाता है कि किसान साल में सिर्फ़ चार या पाँच महीने काम करता है। बाकी दिन बेकार रहता है। बेकारी के दिनों में उन्हें चरखा कातना, कपड़ा बुनना, रस्सी बनाना, सन बटकर चीजें बनाना, मधुमक्खी पालना, गुड़ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे की चीजें बनाना, खिलौने बनाना आदि काम करके जीविका उपार्जन करनी चाहिए। इसके साथ-साथ किसानों को तरकारी बोने की तरफ़ विशेष ध्यान देना चाहिए। खेतों के चारों तरफ वे फलों के पेड़ भी उगा सकते हैं। इनसे उनकी आमदनी बढ़ जायगी। इन सब तरीक़ों के प्रयोग से किसानों की आमदनी काफी बढ़ सकती है।

रूसी किसान

आजकल शहरों और ग्रामों के आवागमन के मार्ग प्रायः जटिल है। अच्छी सड़कों की तो बेहद कमी है। गाँववाले गाड़ियों पर कच्ची पगडंडी होकर आते जाते है। बरसात के दिनों में हालत बहुत ही खराब हो जाती है। पगडडियाँ यहाँ वहाँ कट जाती है; गढढों में पानी भर जाता है और लोगों को पानी में होकर आना-जाना पड़ता है। शहरों तथा गाँवों से सम्बन्ध बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सड़कों को ठीक किया जाय। पक्की सड़कें तो बनवाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि उसमें रुपया बहुत व्यय होगा पर ककड़ की सड़कें अधिक से अधिक बनवानी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि यदि सरकार कंकड़ का इन्तज़ाम कर दे तो किसान बिना कुछ लिये स्वयं सड़क बनाने को तैयार हो जायँगे। सड़कों की हिफ़ाजत के लिए यह आवश्यक होगा कि किसान लोग गाड़ियों में रबड़ की हाल चढ़ावें, लोहे की हालो से सड़क कट जाती है।

गाँवों में पढ़ाई का भी काफी आयोजन करना चाहिए। पढ़ाई दो तरह की होगी—(१) छोटे बच्चो की तथा (२) बुड्ढों की। सरकार ने गाँवों में पाठशालाएँ खोली है, क़स्बों में मिडिल स्कूल भी है पर उनकी संख्या बहुत कम है। लड़कों को ५-७ मील चल कर पढने को जाना पड़ता है। इसलिए स्कूलों की संख्या बढ़ानी होगी। रात्रि-स्कूलों का भी आयोजन करना आवश्यक है जिससे बुड्ढे लोग भी पढ सकें। यह आवश्यक है कि पढ़ाई का कार्यक्रम ऐसा हो कि लोग उससे शीघ्र ही आकर्षित हो जायँ और उसमें दिलचस्पी लेने लगें।

गाँवों में पुस्तकालयों का भी होना आवश्यक है। युक्तप्रान्त की सरकार ने एक शिक्षा-प्रसार अफसर नियुक्त कर दिया है जो प्रान्त भर के ग्रामीण-पुस्तकालयों के लिए ग्रामोपयोगी पुस्तकों का प्रबन्ध करता है। सरकार को चाहिए कि अधिक रुपये की स्वीकृति देकर पुस्तकालयों तथा पुस्तकों की सख्या बढा दे। हो सके तो ऐसे चलते-फिरते पुस्तकालयों का निर्माण किया जाय जो एक गाँव से दूसरे गाँव में घूमते रहें इससे हर गाँववाला एक दिन पुस्तक पा सकेगा।

गाँवों में दवा तथा डाक्टरों का कुछ भी प्रबन्ध नहीं है। गाँव-वाले बीमारी के समय २०-२५ मील चल कर शहर के अस्पतालों में आते हैं। इनमें से कुछ तो बेचारे रास्ते में ही मर जाते है। कठिन रोगियों की तो देख-भाल होने ही नहीं पाती और वे प्रायः मर ही जाते हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि गाँवों में अस्पताल खोले जायँ। यदि अँगरेजी अस्पताल न हों तो कम से कम यूनानी तथा वैद्यक औषधालय ही खोलने चाहिए। काँग्रेस की यही राय है। साथ में कुछ घूमते हुए अस्पताल भी हों जो बीमारी के समय या अन्य आव-श्यकताओं के समय किसी गाँव में मदद के लिए पहुँच जायँ। हमारी ग्रामीण जनता के रहन-सहन में जच्चा और बच्चा-सम्बन्धी विषय अत्यन्त विचारणीय है। ग्राम-ग्राम पढ़ी हुई नर्सों का इन्तज़ाम हो जिससे बच्चे पैदा होते समय जच्चा तथा बच्चा को तकलीफ न हो।

गाँवों में बच्चों के खेल-कूद का भी प्रबन्ध करना चाहिए। नाटक-

कम्पनी या नौटंकियों का इन्तज़ाम होने से गाँववालों में दिलचस्पी बढ़ जायगी, साथ में उनकी शिक्षा भी बढ़ेगी। यह आवश्यक है कि खेल शिक्षाप्रद हो। गाँवों में रेडियो का इन्तज़ाम हो जाय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे उनको विदेशों की सभी बातों का ध्यान तो रहेगा। गाँवो में अनेक प्रकार की सभाएँ करने का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे लोग आ आ कर उनको सभी बातें बताते रहें।

देहाती-जीवन

(नाटक)

पहला दृश्य

(गाँव मे भीखम चौधरी का साफ सुथरा मकान)

[भीखम रस्सी बट रहा है, उसकी स्त्री सुखिया चरखा कात रही है। उनका पाँच वर्ष का पुत्र 'सुग्गा' एक तरफ खेल रहा है।]

[भीखम और सुखिया का गाना]

भीखम—धन ईसुर तेरी माया, है कहूँ धूप कहुँ छाया।

सुखिया—तेरौ पार न काहू पाया, है कहूँ धूप कहुँ छाया॥

भी०—सब भगतन को तू रखवारौ, हम दीनन को तुही सहारौ,

सु०—तैने सब जग उपजाया, धन ईसुर तेरी माया।

भी०—भीर परी कृसकन पै भारी, वेगि प्रभू सुधि लेउ हमारी,

सु०—करौ हमरी निरमल काया, धन ईसुर तेरी माया।

दोनों—धन ईसुर तेरी माया, है कहूँ धूप कहुँ छाया।

भी०—सुखिया!

सु०—चौधरी!

भी०—याद है वे दिन?

सु०—कुन से ? (कौन से)

भी०—टूटौ सो द्वार हतौ घर कौ अरु, टूटी सी छान में रैन बिताई।
फाटे सलूका ते देह ढकी हती, पास न कम्मर और रजाई॥
टूटौ तयौ और फूटी कठौती ही, एकु न लोटा, न बेला कहाई।
दूध-दही कौ न नाम हतौ तब छाछ की घोमन चाखि न पाई॥

सु०—काहे मलीन भये बलमा, बिगरे दिन बीत गये है हमारे।
रात दिना हरु जोतत हौ, और खेती में मस्त हौ साँझ-सकारे॥
खात न रोट हराम के हैं, और पास न पाप की कौड़ी हमारे।
काम करें और राम जपें दिन-रैन तौ काहे न होहिं सुखारे॥

भी०—ठीक कही सुखिया। रामजी की किरपा और तेरे भागन तें अब तौ मौज तें कटि रही है। आगे राम मालिक। अच्छा देख, मैं मजूरन की तलास में जातूँ। कल ते मदत लगवा के वा माऊँ की भींतैऊ पक्की करवाय दऊँ। है कै नायँ ?

सु०—अए ! अब वाय कच्ची ही रहन देउ। दुसमन वैसे ही जर जर कैं मरे जायँ।

भी०—अरी बावरी, मरे जायँ तौ मरन दे। उनके पीछे का कोई अपनौ घर न बनवावै; काऊ पै करजा काढ़न जाऊँ तौ न देयँ।

सु०—पर सौ दो सौ रुपिया भीर परे कूँ धरे रहन देउ। फिर कौन के सामने हाथ पसारत फिरौगे ?

भी०—अरे नायँ बैठी दो-चार छोरीं, जिनके हाथ पीरे करने

है। सुग्गा कूँ पक्कौ घर तौ बनवाय दऊँ। (पुकारना)
सुग्गा बेटा !

[सुग्गा खेल छोडकर दौडा आता है और भीखम के गले से चिपट जाता है।]

सु०—काका !

भी०—देख, मैं तौ तेरे ताईं पक्कौ घर बनवाऊँ, और तेरी अम्मा नाईं करै।

सु०—अम्मा बुली (बुरी)।

भी०—और काका ?

सु०—काका अच्ची (अच्छी)।

सुखिया—देख सुग्गा, मै तौ तेरे ताईं छोटी सी बहू लान की कहूँ और तेरे काका नाईं करैं।

[सुग्गा भीखम की गोद से सुखिया की गोद मे आ जाता है।]

सुग्गा—काका बुली, अम्मा अच्ची।

भीखम—हैं तो बड़ौ मतलबी यार। (पति-पत्नी का हँसना) अच्छा, मेरौ पिछौरा और सोटा ला। अब चलूँ, देर भई जायै। देख बेटा। मैया के पास खेलियो; बाहर ऊधम करने मत जइयो, अच्छा !

[भीखम का चलना, बिहारी मुखिया का आना]

बिहारी—भीखम चौधरी, कहाँ चले ? मै तौ तेरे पास ही आयौ हो समझौ।

भी०—जुहार दादा। आओ, बैठो।

[बिहारी चारपाई पर बैठता है ।]

भी०—कहौ दादा, कैसे हैरान भये ?

बिहारी—हैरान कैसें भयौ समझौ, बात जि है कै आज आपासी की बसूली कूँ कुड़क अमीन आयौ है, सो वानै समझौ मेरी भैंस कुड़क करि लई। मवेसी कूँ हाँकै देयै। सो लाला, दस रुपिया के पीछै मेरी सौ रुपिया की भैंस मट्टी भई जायै। और बात बिगरी सो अलग।

भी०—तौ फिर ?

बिहारी—तू जानै कै आज कल्ल मेरौ हाथ नेक तंग है समझौ। सो तो पै दस रुपिया होयँ तौ उधार दै दै। सरसों बिक गई तौ काल ही पटा दुँगौ समझौ।

भी०—बेफिकर रहौ दादा। भीखम के रहते भैंस कुड़क ना होनी। सुखिया! लइयो तिखाल (ताक) में ते दस रुपिया।

[सुखिया रुपये लाकर देती है]

भी०—लेउ दादा। मजे ते भैंस कौ दूध पीऔ। जब रुपिया है जायँ, दै जइयो।

बिहारी—(रुपये लेकर) भैया, तैनै मेरी बात राखि लई समझौ (जाना)।

सुखिया—हाय जे आपासी किसानन कूँ जीमत न छोड़ैगी।

भी०—अरे बावरी, आपासी कौ का खोट, खोट तौ अपनौ है। किसानन की अक्कल मारी गई है। वा दिना हमनै बिहारी दादा सूँ भौत कही कै छोरी की लगुन में थोरेई रुपिया भेज

देउ, पर तब तौ दादा की बात बिगरी जाई, नाक कटी जाई। आज पैसा पास होतौ तौ जे नौबत काहे कूँ आमती।

सु०—और मोय दीखै कै तुम्हारीऊ मति मारी गई है। बिहारी दादा रुपिया न पटामैं तौ तुम कहा करौ ?

भी०—पटामिंगे चौ ना री ?

सु०—आजकल एक एक पैसा पै तौ लोग ईमान हार जातें सो जि तौ दस रुपिया है। कछू रुक्का, न पुरजा। न दें तौ तुम कहा करौ ? भीर परे पै जेई बिहारी दादा सूधे म्हों बातू न करिंगे।

भी०—अरे नायँ बावरी, अबई इतेक ईमान नायँ चलौ गयौ। अच्छा मै जातूँ-किवार लगाय लै। काऊ की तो पै नजर परि गई तौ जुलम है जायगौ।

[सुखिया की तरफ मुसकराते हुए जाना]

सु०—अए नैक सरम करौ। अधबूढे तौ है गये।

[दरवाज़ा बन्द करती है]

[परदा गिरना]

दूसरा दृश्य

[गाँव की एक गली]

[बिहारी मुखिया और हेता चमार का आना]

हेता—तौ मुखिया, है गये ठाकुर पीतमसिंह सरपंच ?

बिहारी—स्वाफ (साफ)।

हेता—अब तौ जुलम ढाय दिंगे दा दा।

बि०—स्वाफ।

हेता—जब सरपच नायँ हते तबई गरीबन कूँ तबाह करने में कसर नायँ छोड़ी, अब तौ काहे कूँ जीमन दिंगे। मेरौ तौ दादा अब गाम में टिकनौ मुस्किल है।

बि०—स्वाफ। जैसी करनी, तैसी समझौ भरनी।

हेता—जि का बात भई दादा ?

बि०—तू कहा समझै। गामवारे चाहते तौ ठाकुर सरपच न होतौ। सरपंच होतौ कै तौ भीखम चौधरी और कै (कान के पास धीरे से) जि बिहारी मुखिया समझौ।

[अपने सीने पर हाथ रखकर]

हेता—साँच ?

बिहारी—स्वाफ ! डिपटी की लायकी में तौ कसर नायें। वानै तौ स्वाफ कह दई कै गामबारे अपनी परसन्द के पच चुनि लेउ। ठाकुर नै सब अपनी फैंटी के आदमीन के नाम बताइ दये। सब गामबारेन की बोल्ती बंद है गई समझौ। सबनै ठाकुर के फेवर में बोट डार दईं। जब सब पंच ठाकुर की पाल्टी के है गये तो सरपच ठाकुर कूँ छोड़िकै और कौन है सकै ओ समझौ। अब आई समझ में कुछू पौल्सी।

हेता—तौ दादा, तुमने कौन कूँ बोट डारी ?

बिहारी—अरे हम और कौन कूँ डारत ? जब हमनै देखी कै गाम के सब आदमी ठाकुर की तरफ है तौ हमीं चौ ठाकुर

के बुरे बनिकै उनसूँ बिगार खातौ करते? हमूँ ठाकुर साब के भले बन गये।

हेता—जे बात। पर दादा, एक बात है। भीखम चौधरी जैसैऊ आदमी हौनौ मुस्किल है। देखौ वा दिना जब तुमारी भैंस कुड़क भई तौ वाई नै दस रुपिया दैकैं छुड़ाई। न रुक्का, न पुरजा।

बिहारी—कहा कही रे ढेड़! कौन बेईमान की भैस कुड़क भई; और कौन करज काढन गयौ? और कौन नालायक ने रुपिया दये। बड़े आये भीखम कहूँ के साहूकार।

हेता—दादा तुम बुरौ मानि गये। मैंने तौ सुनी हती।

बि०—अरे तौ चमरा बात जेई कै कुड़क अमीन नै, हम सूँ कान में कही कै मुखिया मै झूठेई कूँ तुम्हारी भैंस कुड़क करूँगौ सो सब गामवारे डर के मारे रुपिया पटा दिंगे। जब सब के रुपिया पट गये तौ हमने ऊ दस रुपिया गहाय दये। दस रुपल्ली के पीछे हम भीखम के द्वारे जाते। अरे हम मुखिया है। हम कूँ बड़ी पौल्सी सूँ काम करनौ पड़ै है। थानेदार, अमीन, कानीगो, सब कूँ अपने फेवर में रखनौ पड़ै। हम काऊ पै ते करज लिंगे? हम तौ तौ दो सौ देने कौ इरादौ रक्खतें। लै ढेड की बातें। अब कै थानेदार आयौ और तेरीऊ नजरानी (निगरानी) खुलवाई।

हेता—(नाक ओट कर) ऐसी मति करियो दादा। मै तो तिहारौ गुलाम हतूँ।

[ठाकुर पीतम्बर सिंह के दो सिपाहियो का आना]

नं० १—ओ गुलाम ! चल इतकूँ ।

नं० २—सवेरे ते ढूँढ़त ढूँढ़त हैरान है गये । चल जल्दी गढ़ी पै ।

हेता—काहे कूँ मालिक ?

नं० १—काहे कूँ ? अरे कुटी होयगी कै नायँ ?

बिहारी—स्वाफ । जे जाई लायक़ है (जाना)

हेता—कुटी करन में मोकूँ उजर थोड़े ही है मालिक, पर बाल-बच्चेन कूँ खाने कूँ कहाँ ते आवै ? ठाकुर तौ दिन भर कुटी कराकै आध सेर बेझरऊ दिवैया नाय हते ।

नं० २—अरे तौ नाय एक दिन में सारे बाल-बच्चे मरे जायँ ।

हेता—तौ मालिक आज तौ....

नं० १—कहा कही रे ! आज तौ—

[भीखम चौधरी का आना]

भी०—जि कही कै आज तौ हेता नाय जा सकत । मेरे यहाँ छः आना रोजीना पै काम करै । अब कछू आई समझ में कोतवाल साब ।

न० २—तौ हम जाय कै कह दें ठाकुर सूँ कै भीखम चौधरी नै हेता कूँ नाय आमन दयौ !

भी०—जरूल, जरूल । तुमकूँ कहत में ठाकुर सूँ डर लगै तौ चलौ मै चलिकै कह दऊँ ।

नं० १—अरे ऐसी रिहायत सूँ काम ना चलनौ । मजूर मिलने

मुस्किल है जाइंगे। चौधरी, तुम अपनौ काम देखौ। तुम काहे कूँ ठाकुर के बुरे बनतौ। (हेता को धक्का देकर) चल रे चल।

हेता—चौधरी, मैं जातूँ। तुम मेरे पीछे—

भी०—खबरदार जो आगे कदम धरौ। देखूँ तौ कौन तोकूँ लै जातै। (सिपाहियो से) असल छत्री हो तौ आ जाओ मैदान में। (लाठी सँभालता है)।

[ठाकुर पीतमसिंह के लडके रामसिंह का प्रवेश]

रामसिह—हैं! हैं!! चौधरी क्या करते हो। आखिर मै भी तौ सुनूँ, क्या बात है?

भी०—अपने सिपाहीन सूँ ही पूछि लेऊ।

रामसिंह—(सिपाहियो से) बोलौ जी! क्या बात है?

नं०१—कछू नाय सरकार बात जिहै कै—(अपने साथी के कान में) अब कहत चौं नायँ।

नं०२—बात जिहै मालिक कै—(साथी के कान मे) अरे कहि दै समझाय कै।

नं०१—बड़े सरकार ने हेता कूँ कुटी करन कूँ बुलायौ हतौ सो—(साथी के कान में) अब तू चला गाडी।

रामसिंह—अरे कहते हो या आपस में काना फूँसी करते हो?

नं०२—सो सरकार भीखम चौधरी—

राम—चुप क्यों हो गया, बोल!

नं०२—(साथी से) तू काए बात की तलब पावै ? अब बोलती चौ बद है ?

न०१—अरे तौ हमी कहतें। जो होनी सो है जायगी। सरकार ! भीखम चौधरी ने कही कै हेता तौ मेरे यहाँ मजूरी करैगौ। ठाकुर कूँ मजूरन की जरूलात होय तौ मजूरन की कमी नाय हती। और मालिक हमकूँ मारनकूँ तैयार है गये।

राम—मारा तो नहीं ?

न०२—हजूर न आये होते तौ मारन में का कसर रही हती।

राम—तो मै व्यर्थ आया। चौधरी ! अपना मजदूर लेकर जाओ। लाठी चलाने से पहिले मेरे पास आकर शिक़ायत किया करो। और तुम दोनों सिपाही जाकर मवेशियों को कुट्टी करो। बेकार पड़े-पड़े तुम लोगों को बादी बढो जाती है। (ज़ोर से) जाते हो या भीखम चौधरी की कसर मै पूरी करूँ ?

न०२—(जाते जाते) चल बेटा ! और करिलै सिकायत।

नं०१—(जाते जाते) चल-चल, मौत बनै हो मुकदम।

(जाना)

भी०—हेता चल। छोटे सरकार के राज में सब दुख दूर है जाइँगे।

[एक ओर हेता व भीखम, और दूसरी ओर रामसिंह का जाना]

तीसरा दृश्य

[परदा उठना]

[ठाकुर पीतमसिंह की कचहरी]

ठाकुर पीतमसिंह मसनद के सहारे फर्शी गुडगुडा रहे हैं। उनका कारिन्दा कुछ काग़ज़ात, दवात, कलम इत्यादि लिये बैठा है।

पीतमसिंह—हूँ। तौ अब भीखम चौधरी की इतनी हिम्मत है गई कै हमारे वेगारीन कूँ मजूरी पै रक्खै।

कारिन्दा—सरकार बड़ा सरकश आदमी है। पूरा काँग्रेसिया है।

पी०—सबकूँ देख लूँगा। जमीदार हूँ, लम्बरदार हूँ। मवस्सल लगान हूँ, सरपंच हूँ, मुंसीजी।

कारिन्दा—अरे सरकार, आप न जाने क्या-क्या है। आपके सामने बड़े-बड़े हाकिम कन्नी काटते है।

पी०—कन्नी काटते है जी कन्नी। मुंसीजी, अब मैं एक एक कूँ ठीक कर दूँगा। तीन-तीन महिना कूँ न भिजवायौ, तौ ठाकुर पीतमसिंह नाम नही।

कारिन्दा—महाराज! आप चाहें तो सब को तीन-तीन साल को भिजवा दें।

पी०—जे वात। अच्छा मुंसीजी, तुम गाम के सब सरकस आदमीन की एक फैरस्त तैयार करौ। छूटन कोऊ न पावे। एक-एक को चालान न कियौ तौ।

कारिन्दा—ठा० पीतमसिंह नाम नहीं।

पी०—जे वात। [रामसिंह का आना]

राम०—और देखो मुंसीजी, उन सरकश आदमियों को फ़ेहरिस्त में सबसे पहले नाम रखना इस रामसिंह का (सीने पर हाथ रखता है)

कारिन्दा—(काँपते हुए) जो हुक्म [रामसिंह का मुस्कराते हुए जाना]

पी०—(माथा ठोककर) हे परमात्मा, ऐसे पुत्र से तो निपुत्री भलौ। जे तौ बाप-दादेन की इज्जत मिट्टी में मिलाकै छोड़ैगा ।

कारिन्दा—मालूम तो ऐसा ही होता है।

पी०—जैसी ईश्वर की इच्छा और हाँ मुंसीजी, या भीखम चौधरी के भौत मिजाज बढ गये है। जो याकी ठसक न निकारी तौ

कारिन्दा—तौ ठा० पीतमसिंह नाम नहीं।

पी०—जे बात। और या हेता कूँ तो आज ही ठीक करै दऊँ। रमल्ला ने बड़ी देर करी।

[रमल्ला का आना]

रमल्ला—जुहार ठाकुर !

पी०—जुहार ! उमर तेरी भौत है पट्ठे। मुंसीजी निकारौ तौ मुकद्मान रजिस्टर। हाँ रे रमल्ला ! कल तो सूँ और हेता सूँ कहा बारदात है गई ? हमनै सुनी है कै हेता ने तेरे खेत में सूँ चरी काट लई और....

रमल्ला—जि कहा कहतौ ठाकुर ? कल तौ मैने हेता की सूरत हू नाय देखी हती।

पी०—भला जी भला। सुन लई मुसीजी। है जेऊ मिला भया।

कारिन्दा—बेचारा भीखम से डरता है।

पी०—डरता है तौ पीसै चक्की। अरे सुनैहै कै नाय ? साँची बात का छिपाये ते छिपी रहैगी ? अब गाम में पचायत खुल गई है। जो जुलम करैगौ, ताकूँ सजा मिलेगी। जो तैने नेकूँ झूठ

बोलौ और तो पै मुक़दमा क़ायम भयौ। लिखा अपनौ बयान जल्दी।

कारिन्दा—बोल, क्या कहता है,

रमल्ला—जि अच्छी आफति रही। तौ मै कहा लिखाऊँ, जो ठाकुर साब लिखामें सोई ठीक।

पी०—हाँ, अब आयौ ठिकाने पै; लिखौ मुंसीजी।

[धीरे धीरे बोलता है और कारिन्दा लिखता है]

कारिन्दा—लीजिए, लिख गया।

पी०—सुनाऔ। सुनलै रे रमल्ला अपनौ दावा।

कारिन्दा—(सुनाता है) कल दो पहर की बात है कि—

रमल्ला—(बीच ही में) हाय काल तौ मै गाम में ऊ नाय हतौ।

पी०—अरे सुनै भी। हाँ मुंसीजी, सुनाऔ।

कारिन्दा—मै अपने तीन बीघा खेत में से चरी लेने गया, तो क्या देखता हूँ कि हेता मेरे खेत में से चरी काट कर गट्ठर बाँध रहा है। मैने ललकारा तो मेरे एक लाठी मारी। मै बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो वहाँ हेता न था। पचायत मेरा इन्साफ़ करे।

पी०—जे बात। लिखौ 'सुनकर तहीक किया।'

कारिन्दा—हाँ, यह लिखना तो भूल ही गया। (लिखता है) लीजिए, लिख गया। रमल्ला, कर निशानी।

[रमल्ला चुपचाप निशानी कर देता है]

ठाकुर—भवकढ़ी चौकीदार! (भवकढ़ी का आना)

झक्कड़ी—हजूर !

ठाकुर—हेता चमार कूँ गिरफ्तार करकें हमारे सामनै इसी वक्त हाज़िर करै ।

झक्कड़ी—जो हुकम । (जाना)

ठाकुर—अब देखनौ है, कौन हेता की मदत कूँ आवै ।

[हेता का आना]

हेता—जुहार ठाकुर !

ठाकुर—हूँ ! जुहार । अब भला तू काहे कूँ जुहार करैगो । पर इन बातन कौ अदालत मे कहा जिकर । मतलब की बात होनी ठीक । मुसीजी, सुनादेउ हेता कूँ रमल्ला कौ बयान । (सुनाता है) ।

ठाकुर—बोल, कहा कहै है । अब गाम में दिन दहाड़े डकैती होंगीं तो पर गये पूरे । लिखा अपनौ बयान ।

हेता—ठाकुर, रमल्ला कौ बयान् बिरकुल्ल झूठौ है । भला मै चोरी करूँगो । राम ! राम !!

ठाकुर—सो तौ हम जानै है, तू बड़ौ साहूकार है । अच्छा, रमल्ला ते तेरी कछू दुस्मनी है ?

हेता—नायँ तौ ।

ठाकुर—लिखौ मुसीजी । रमल्ला सूँ मेरी कोई रंजिस नही । अच्छा, कछू गवाही-सादी देगो कै फैसला सुनाऊँ ?

हेता—गवाही-सादी काहे की महाराज ! रमल्ला अपने छोरा की

बाँह पकर कै कह दे कै मैं नै याके खेत सूँ चरी काटी। बस चोर कूँ सजा सो मोकूँ।

ठाकुर—अरे जे अदालत है। यहाँ ऐसी धाँधली ना चलै। अच्छा लिखौ मुसीजी—मेरे पास कोई गवाही-सादी नहीं है। कर रे अँगूठा।

हेता—गवाह चौ नायें ठाकुर। लिखौ नाम। एक नायँ पचास गवाह।

ठाकुर—भला जी भला। पैलै कही कोई गवाह नही, अब कहै है पचास गवाह। बयान बदलनौ दिल्लगी समझ लई। अरे ढेड़! जो दफा ३७३ लगा दई तौ सात साल सूँ कम कूँ न जायगौ।

कारिन्दा—हेता! दिमाग़ तो नहीं खराब हो गया! अदालत है अदालत। चुपचाप अँगूठा करके सरकार से माफी माँग।

हेता—अँगूठा तौ मुन्सीजी मैं करत नाऊँ, चाहे फाँसी पै चढ़ाय देउ।

ठाकुर—अच्छा जी अच्छा। लिखौ मुन्सीजी फैसला।

कारिन्दा—बोलिए हुजूर। इसकी तकदीर।

ठाकुर—(लिखाता है) मुर्जलिम तलब कियौ गया। बड़ौ सरकस आदमी निकला। बयान दैने सूँ स्वाफ इकार किया। हमने मामले की खूब तहकीकात कराई बल्कै खुद करी। मामला सोलहौ आना सच्चा है। मुद्दई के हाथ में बल्के सिर में चोट के निसानों का सुबा है, बल्कै चोट स्वाफ दीखती है। मुर्लजिम

कांग्रेसवालों से मिला है बल्कै खुद कांग्रेसिया है। लिहाजा हुकम भया कै——(सोचता है)

कारिन्दा——जी।

ठाकुर——मुंसीजी जे बात लिख दई ' लिहाजा हुकम भया।''

कारिन्दा——जी हाँ!

ठाकुर——हाँ। जे बात जरूल लिख देना चौकै हमसूँ डिप्टी साब के पेसकार ने खुद कही कै ठाकुर साब "लिहाजा हुकम भया" जरूल लिख दिया करौ। फिर का मजाल जो हाई कोरट तलक फैसला टस ते मस है।

ठाकुर——तौ लिहाजा हुकम भया कै हमनै हेता पै पचास रुपैया जरीमाना और १ महीना की सखत कैद करी। (हेता के) पीसौ बच्चा चक्की।

कारिन्दा——(धीरे से) मगर हुज़ूर, पंचायत के ऐक्ट के मुताबिक़ आप क़ैद नहीं कर सकते।

ठाकुर——(ज़ोर से) अजी हम सब कर सकैं। पर खैर, तुम सिपारस करौ तौ कैद की सजा रद्द कर दो। बस ५०) जरीमाना रहने दो। (हेता से) निकाल रे जरीमाना।

हेता——ठाकुर, मै गरीब आदमी। भला मो पै पचास रुपिया कहाँ धरे एं।

ठाकुर——नाय धरे तौ फिर जा जेलखाने। मुंसीजी!

कारिन्दा——(कान में) ठाकुर साहब, आप एक्ट के मुताबिक़ १०) से ज़्यादा जुरमाना नहीं कर सकते।

ठाकुर—(जोर से) अजी इकट गयौ चूल्हे में। हमसूँ कलक्टर साब ने जो कह दीनी है कै ठाकुर साब हमारी-तुम्हारी घर की सी बात है। तुम चाहे जित्ता जरीमाना कर दिया करौ।

कारिन्दा—तौ हुजूर ठीक है। मगर फिर भी ग़रीब आदमी है।

ठाकुर—हाँ, जे बात और है। गरीव आदमी तो जरूल है। अच्छा, तौ लिखौ फकत दस रुपिया जरीमाना करकै रमल्ला मुद्दई कूँ हरजा के दिवा दिये गये।

कारिन्दा—हो गया दूध का दूध पानी का पानी। इसे कहते हैं इंसाफ। हेता! निकाल दस रुपये—रसीद बनाऊँ। अदालत को रहम न आता तो बेटा इस वक़्त तक लाल फाटक देखते होते।

हेता—तौ ऊ वखत तौ धेलाऊ नाएँ।

ठाकुर—तौ फिर जा हवालात में। झक्कड़ी! जाकी खाना-तलासी लैकै हवालात में बन्द कर दे।

झक्कड़ी—भौत ठीक (हेता की खानातलाशी लेता है। अंटी में से दस रुपये निकलते हैं)

झक्कड़ी—लेउ ठाकुर। पूरे दस रुपिया निकसे, न कमती न बढ़ती।

ठाकुर—मुंसीजी, जे गरीब आदमी है। करौ जमा दस रुपिया।

हेता—(ठाकुर के पैर पकड़ कर) महाराज! तुम मेरे माई-बाप हौ। जे रकम मेरी ना हैं। मेरौ कारौ म्हों मत करौ। (रोता है)

ठाकुर—चौकीदार! या बेईमान कूँ अदालत सूँ बाहर निकारौ, नहीं तौ हवाल जाल साज़ी कौ मुकदमा कायम करूँ।

[झक्कडी उसे निकालना चाहता है—रामसिंह का प्रवेश]

रामसिंह—ठहरो। हेता! तुम्हारे दस रुपये इन लोगों ने छीन लिये। (अपनी जेब से रुपये निकाल कर) लो अपने रुपये।

हेता—जै छोटे ठाकुर की। (प्रसन्न होकर जाता है)

ठाकुर—अरे बेटा! जे तैने कहा करौ?

रामसिंह—पिताजी! आज से रामसिंह आपका बेटा नहीं बल्कि आपके गाँव में रहनेवाला एक किसानों का सेवक है। भूल जाइए आज से अपने पुत्र रामसिंह को। (तेजी से जाना)

ठाकुर—पढ़-लिख कै तौ छोरा कौ दिमाक बिगर गयौ। खैर, देखी जायगी। अच्छा मुन्सीजी, रमल्ला की निसानी लेउ कै दस रुपिया हर्जा के वसूल पाये।

कारिन्दा—(निशानी लेकर) अच्छा भैया, तुम जाओ। तुमको बहुत देर हो गई।

रमल्ला—और हरजा के रुपिया?

ठाकुर—भला जी भला। रुपिया?. अरे नालायक, रुपिया तौ खरचा में कट गये। मुकदमा तू लड़ै और खरचा अदालत करै? भाग घरै।

रमल्ला—जि खूब रही। (जाता है)

ठाकुर—हाँ मुंसीजी, मुकदमान रजिस्टर पै और पंचन के ऊ दस्तखत अँगूठा करा लीजो।

कारिन्दा—ज़रूर, ज़रूर।

सहकारिता

सहकारिता हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। पुराने समय में हमारे गाँववाले एक दूसरे की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। पचायत की प्रथा इसी का एक उदाहरण था। परन्तु अँगरेज़ी साम्राज्य के आने पर हमारी वह पुरानी प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो गई; क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत लाभ की विशेप चिन्ता करने लगे। अब हमारे देश में सहकारिता की ओर लोगों का ध्यान पुनः आकर्षित हो गया है; पर आधुनिक सहकारी आन्दोलन का रूप इसके पुराने रूप से भिन्न है।

सहकारिता का उद्देश्य एक दूसरे की सहायता करना है; परन्तु संगठन तथा सहकारिता शब्दों में भेद है। किसी कार्य की पूर्ति के लिए जब लोग मिलकर कार्य करते है तो उसी को संगठन कहा जाता है। पर जब मनुष्य किसी आर्थिक लाभ के लिए संगठित होकर एक दूसरे की सहायता करते है तो उसे सहकारिता कहते है।

हमारे देश में सहकारिता की आवश्यकता क्यों हुई? प्रकट है कि हमारे देश के लगभग ८० प्रति शत लोग खेती पर निर्भर हैं। हमारे देश के किसान की दशा बड़ी दयनीय है। उसके पास खेती के लिए लगभग दो एकड़ भूमि है, बीज के लिए पैसा नहीं है, बैलों या हल का कोई प्रबन्ध नहीं है। वह खाद भी ठीक से दे

नहीं पाता और सिचाई का ठीक साधन नहीं है। परिणाम यह होता है कि खेत में उपज बहुत कम होती है और जो पैदावार होती है वह लगान में और ऋण की क़िस्त चुकाने में निकल जाती है। बेचारे के पास खाने भर को अन्न भी नही बच जाता।

किसानों की यह दशा तभी सुधर सकती है जब इनके खेतों की पैदावार बढ़े। किन्तु खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए बढ़िया बीज, बैल, हल, खाद तथा सिंचाई की आवश्यकता है। किसान इनका उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास रुपया हो। पर रुपया आवे कहाँ से? ऋण के बोझ से दबे हुए किसान को कम सूद पर कौन क़र्ज़ दे सकता है? एक ओर तो किसान का बिना रुपये के काम नहीं चल सकता और दूसरी ओर उसे कम सूद पर रुपया मिल नहीं सकता। अब क्या किया जाय? इस समस्या को हल करने के लिए हमारे कुछ विद्वानों ने सोचा कि यदि किसान स्वयं ही मिलकर दो-दो चार-चार रकम जमा कर कुछ रुपया इकट्ठा कर लें तो थोड़े समय में उनके पास इतना रुपया हो जायगा कि वे आवश्यकता के समय इसी पूँजी से अपने एक सकट मे फँसे भाई को कम सूद पर रुपया उधार-दे दें जिससे वह अपनी खेती के लिए बीज आदि ले सके।

इसी भावना को ध्यान में रखकर सन् १८८४ में भारत-सरकार ने ब्रिटिश सरकार के पास इस आशय का पत्र भेजा कि उनको एक ऐसी सस्था बनाने की आज्ञा दे दी जाय जिससे किसानों को आवश्यकता पड़ने पर सस्ते ब्याज पर उधार रुपया मिल जाया करे। पर सर वैडरवर्न की भूमि-बैंक-सम्बन्धी योजना सफल न हो

सकी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार का सहयोग न दिया। सन् १८९२ में मद्रास-सरकार ने सर फ्रेड्रिक निकोलसन को प्रांत की ग़रीबी दूर करने के लिए कोई योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया। निकोलसन साहब विदेशों में भी काफ़ी घूमे और अन्त में आप इसी निश्चय पर आये कि देश में सहकारिक समितियाँ खोली जायँ। मद्रास-सरकार ने इस रिपोर्ट के ऊपर कार्य करना निश्चय किया। फलतः वहाँ निधियों* की संख्या काफ़ी ज़ोरों से बढ़ने लगी। लोगों का इस तरफ़ रुझान बढ़ने लगा और महामति रानाडे तथा सर मैक्डानल ने इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किये। आख़िर लोगों के काफी ज़ोर देने पर तथा दुर्भिक्ष कमीशन के कहने पर, सरकार ने सन् १९०१ में एक कमिटी नियुक्त की जिसका कार्य इस बात की जाँच करना था कि देश में सहायक समितियाँ कहाँ तक सफल हो सकती हैं। इसी रिपोर्ट पर लार्ड-कर्जन ने असेम्बली में एक बिल पेश किया जो २३ अक्टूबर सन् १९०३ में पास हो गया। यह बिल सहायक-ऋण-समिति-एक्ट १९०४ के नाम से प्रसिद्ध है। इस एक्ट के अनुसार एक गाँव या क़स्बे में कोई भी दस व्यक्ति मिलकर एक सहायक समिति खोल सकते थे। इस समिति का विशेष कार्य रुपया जमा करना तथा सरकार या अन्य

---

* निधि लोग एक प्रकार से सहायक ढंग पर ही रुपया उधार देते हैं। वास्तव में ये न तो सहायक-समिति ही है और न साहूकार ही; दोनों का मिश्रित स्वरूप हैं।

वाइसराय लार्ड वैवेल
जिन्होंने अन्तर्कालीन राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का यश लिया

व्यक्तियों से रुपया उधार लेना और मेम्बरों को सस्ते ब्याज पर देना होता था। सरकार ने इन समितियों की जाँच तथा देखभाल के लिए एक रजिस्ट्रार की भी नियुक्त की थी जो मुफ्त में सबके हिसाबों की जाँच भी करते थे। इस बिल का मुख्य उद्देश्य लोगों में मितव्ययता, स्वावलम्बन, सहकारिता और मित्रता का पाठ पढ़ाना था।

बिल के पास होते ही सहायक-ऋण-समितियाँ जोरों से खुलना शुरू हो गईं। दो साल के अन्दर ही लगभग ८०० समितियाँ खुल गई। धीरे-धीरे यह मालूम पड़ने लगा कि इस बिल का उद्देश्य बड़ा सकुचित है और लोगों को दूसरी तरह की सहायक-समितियाँ बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिए। सन् १९१२ तक सब समितियों के नित्य प्रयोग में आनेवाले धन की सख्या बढ़कर ३ करोड़ ३६ लाख रुपया हो गई और उनकी सख्या ८,१७७। अब इस बात की आवश्यकता समझी जाने लगी कि किसी ऐसी केन्द्रीय संस्था की स्थापना हो जिससे समस्त आन्दोलन सम्बन्धित रूप से चल सके। इन्हीं बातों के कारण सरकार ने सन् १९१२ में दूसरा बिल पास कर दिया जिसके अनुसार किसी भी कार्य के लिए सहायक समिति बनाई जा सकती थी। इसने तो इस आन्दोलन में नई जान ही डाल दी और शीघ्र ही विभिन्न कार्यों के लिए नई-नई सहायक समितियाँ खुलने लगीं। खेती, चकबन्दी, बीज, अनाज का क्रय-विक्रय, पानी तथा आबपाशी, खेलकूद, घी-दूध, गाँवों की सफ़ाई आदि ऐसा कोई भी कार्य न रहा जिसके लिए सहकारिक समितियाँ न खुली हों। तभी तो

सन् १९४२-४३ में इन समितियों की संख्या बढकर १ लाख ४६ हज़ार हो गई; पूंजी १२१ करोड़ १४ लाख हो गई तथा मेम्बरों की संख्या लगभग ६० लाख थी।

हमारे देश में दो भिन्न तरह की समितियाँ हैं—१ ग्रामीण सहकारिक समिति तथा २ नागरिक सहकारिक समिति। ग्रामीण सहकारिक समिति में एक ही गाँव या स्थान के सदस्य मेम्बर हो सकते हैं। हर एक सदस्य का व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व अपरिमित होता है। पूरा मुनाफ़ा सुरक्षित कोष में जमा हो जाता है। उसका सिर्फ़ एक-चौथाई भाग ही भलाई के कामों में व्यय किया जा सकता है। ऋण थोड़े समय के लिए—६ महीने से १ साल तक के लिए—ही दिया जाता है और वह भी सिर्फ उत्पादन के कार्य के लिए। इसके कार्यकर्त्ता अवैतनिक कार्य करते है। यह समिति उन लोगों से जो सदस्य नहीं है रुपया जमा तो करा सकती है पर उन्हें उधार नहीं दे सकती। नागरिक सहायक समितियों की कार्यप्रणाली इसके बिलकुल विपरीत है। इस समिति का कार्यक्षेत्र सीमित नहीं होता और न कोई सुरक्षित कोष ही होता है, यद्यपि मुनाफे का चोथाई भाग जमा रक्खा जाता है। मेम्बरों की जिम्मेदारी परिमित होती है और वे मुनाफ़ा भी आपस में बांट लेते है। यहाँ अधिकारी भी वैतनिक कार्य करते हे।

दोनों तरह की समितियों का प्रबन्ध प्रजातंत्रीय ढंग पर किया जाता है। प्रबन्ध दो कमिटियों के हाथ में होना है जिनके नाम जनरल कमिटी और प्रबन्ध कमिटी हे। जनरल कमिटी में सभी मेम्बर होते

हैं। जनरल कमिटी एक सेक्रेटरी को नियुक्त करती है, समिति की तथा प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतर साख निर्धारित करती है, सालाना चिट्ठा मंज़ूर करती है, आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को निकालती है आदि। जनरल कमिटी आपस में से पाँच से लेकर नौ व्यक्तियों तक को चुन लेती है जो प्रबन्ध कमिटी के मेम्बर हो जाते है। प्रबन्ध कमिटी का कार्य प्रति दिन के कार्य की देखभाल करना है। यह सदस्यों के ऋण लेने के प्रार्थनापत्रों पर विचार करती है; समिति के सदस्यों से ऋण वसूल करती है, समिति के लिए रुपया इकट्ठा करती है और सेक्रेट्री द्वारा तैयार किये गये बही-खातों तथा हिसाबों पर निरीक्षण रखती है।

समितियों के लिए पूँजी वसूल करने का प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बिना काफी पूँजी के उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो ही नहीं सकता। समितियाँ अधिकतर पूँजी निम्न लिखित साधनों द्वारा प्राप्त करती है :—

(१) केन्द्रीय सहकारी सस्थाओं के ऋण, (२) सरकार के ऋण, (३) अन्य समितियों के ऋण और जमा पूँजी, (४] प्रवेश फीस, (५) सदस्यों द्वारा जमा रुपया, (६) शेयरों की पूँजी तथा, (७) रक्षित कोष।

पर यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि अधिकतर रुपया तो समितियाँ पहले तीन साधनों द्वारा ही वसूल करती हैं और सरकार द्वारा दिया गया ऋण बड़े महत्त्व का स्थान रखता है।

एक सहायक समिति खोलने का तरीक़ा अत्यन्त सरल है।

कम से कम दस व्यक्तियों को, जो उसी गाँव के हों या एक तरह का काम करते हों, मिलकर सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है। प्रार्थनापत्र में समिति के उद्देश्य धन, शेयर आदि के बारे में भी लिखना पड़ता है। यदि सब बात ठीक है तो रजिस्ट्रार प्रार्थनापत्र स्वीकार कर समिति स्थापित करने की आज्ञा दे देता है। एक समिति के अधिक से अधिक मेम्बर १०० होने चाहिए अन्यथा सभा की कार्यक्षमता में उलझनें पड़ने लगती हैं। अभी तक हमारे देश में चलन यही रहा है कि एक कार्य के लिए एक से अधिक समितियाँ स्थापित करने की आज्ञा नहीं दी जाती। यह बात बहुत अच्छी है, कारण कि इससे आपस में स्पर्धा का या कटुता का कोई मौका नहीं रहता। पर एक समिति कई कार्य एक साथ कर सकती है और अब तो अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों का यह मत दृढ़ता पकड़ता जा रहा है कि बहु-कार्य-समितियों को एक कार्य-समिति का स्थान ले लेना चाहिए क्योंकि गाँव की दशा सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि एक साथ कई उपाय किये जायँ।

जनता की आज़ादी

किसी देश की आज़ादी की जनता ही अधिकारी है।

(१)

जनता ही बजर खेतों में हरा नाज उपजाती है,
जनता ही उस सब अनाज को शहरों में पहुँचाती है,
जनता ही धनवानों के सारे व्यापार चलाती है,
पर जनता ही सबसे ज़्यादा दुनिया में दुख पाती है।
जनता को दुख देनेवाली बस सरमायादारी है।
किसी देश की आज़ादी की जनता ही अधिकारी है।

(२)

जो आज़ादी ऊँचे ऊँचे महलों में इठलाती है,
जो आजादी झाड़ और फानूसों के गुन गाती है,
जो आजादी आज़ादी से वह कानून बनाती है
जिनसे धनपतियों की ताकत और अधिक बढ़ जाती है।
उस आज़ादी से जनता पर पड़ती मार दुधारी है।
किसी देश की आज़ादी की जनता ही अधिकारी है।

(३)

आज़ादी ही क्या महलों की जिनमें सब सुख-साज रहे
मखमल की सेजों पर जिनमें श्री महाराज विराज रहे,
जिनकी चलतीं मिलें, हज़ारों का व्यापार चलाते हैं
अपने बड़े इलाके के जो ज़मीदार कहलाते हैं।
उनकी आज़ादी हो सकती हरगिज नहीं हमारी है
किसी देश की आज़ादी की जनता ही अधिकारी है।

(४)

साधू सन्त महात्मा होते कभी किसी के यार नहीं,
ऊँचे महलों के वासी आज़ादी के हक़दार नहीं।
आज़ादी का मर्म समझ सकते सरमायादार नहीं,
आज़ादी पाने के क़ाबिल ज़मींदार तुज्जार नहीं,
आज़ादी हम सब का हक़ है जिनपर संकट भारी है।
किसी देश की आज़ादी की जनता ही अधिकारी है।

(५)

आज़ादी वह है जिसमें सब एक बराबर हक़ पायें,
कुली किसानों के बच्चे भी पढ़-लिखकर कुछ हो जायें।
सबको जग में आगे बढ़ने का अवसर अधिकार मिले,
कोई दुखी न हो दुनिया में सबको आदर प्यार मिले।
ऐसी आज़ादी हम सबको प्राणों से भी प्यारी है,
किसी देश की आज़ादी की जनता ही अधिकारी है।

———

हमारी सरकार

हमारे देश का शासन इस समय दो भागों में विभक्त है—(१) केन्द्रीय तथा (२) प्रान्तीय। केन्द्र में एक बड़ी सरकार है और हर एक प्रान्त में एक प्रान्तीय सरकार। भारतवर्ष ११ प्रान्तों* में विभक्त है। इस तरह यहाँ पर ११ प्रान्तीय सरकारें है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के कार्य,क्षेत्र बँटे हुए है, जिससे कार्य की व्यवस्था ठीक रहे। जो काम समूचे भारतवर्ष के हित के लिए है—जैसे युद्ध, बचत, मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, सेना आदि उन कामों की देखभाल केन्द्रीय सरकार करती है और जो काम प्रान्तीय हित के लिए है—जैसे पुलिस, शिक्षा, खेती, सफाई वे प्रान्तीय सरकारों को दे दिये गये है। इन दोनों सरकारों का खुलासा वर्णन नीचे किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार

केन्द्रीय सरकार के मुख्य कार्य-कर्ता भारतवर्ष के वायसराय

---

* ११ प्रान्तो के नाम है :—(१) सयुक्त प्रान्त, (२) बगाल (३) बिहार, (४) आसाम, (५) उडीसा, (६) मद्रास, (७) बम्बई, (८) सिन्ध, (९) पजाब, (१०) उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त और (११) मध्य प्रान्त। इन प्रान्तो मे सिन्ध तथा बगाल को छोड सभी जगह काग्रेस का राज्य है। सिन्ध और बङ्गाल मे मुसलिम लीगी म त्रिमडल है।

तथा गवर्नर-जनरल है । इस समय इस पद पर लार्ड वैवेल है । आप इंगलेंड के बादशाह के प्रतिनिधि हैं ।

वायसराय महोदय को शासन-कार्य में सहायता देने के लिए सलाहकार कमिटी है । अभी तक तो इसमें हमारे नेता लोग भाग नहीं लेते थे, किन्तु २ सितम्बर १९४६ को लार्ड वैवेल ने अपनी कार्य-कारिणी के सदस्यों को बदल दिया है । पहली दफा हमारे देश के विश्वसनीय नेता लोग उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं । इन नेताओ मे १. पंडित जवाहरलाल नेहरू, २. डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, ३. शरच्चन्द्र बोस, ४. चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ५. जगजीवन राम, ६. आसिफ़ अली, ७. डाक्टर जान मथाई, ८. सरदार बलदेवसिंह, ९. सर शफ़ात अहमद खाँ, १०. सरदार पटेल, ११. सी० एच० भावा, १२. सैयद अलीजहीर तथा दो मुसलमान सदस्य और है । इस तरह वायसराय की कार्यकारिणी में १४ सदस्य होंगे । वायसराय की यह समिति अब मंत्रिमंडल के नाम से पुकारी जाने लगी है । अब यह वायसराय को केवल सलाह ही नहीं देती, वरन वायसराय उसकी सलाह मानते हैं ।

वायसराय के इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि भेज दिये है पर मुस्लिम लीग ने इसमें सहयोग देना स्वीकार नहीं किया है । मुस्लिम लीग के प्रेसीडेंट मिस्टर जिन्ना का कहना है कि मुसलमानों तथा हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व बराबर हो तथा कांग्रेस किसी भी राष्ट्रीय मुसलमान को न चुने, तभी हम उसमें सम्मिलित हो सकते हैं । वायसराय को तथा कांग्रेस को ये शर्तें मंजूर नहीं हैं । यह

अस्थायी सरकार २ सितम्बर से काम करने लगी है। यह सरकार उस समय तक काम करेगी जब तक हमारे देश में राष्ट्रीय सरकार क़ायम नहीं हो जाती।

अभी तक हमारा देश १९१९ के एक्ट के अनुसार अनुशासित था। उस क़ानून के अनुसार देश को नाममात्र के अधिकार प्राप्त थे। हम लोग हर कार्य के लिए विदेशी सरकार के मातहत थे। वायसराय को बहुत अधिकार प्राप्त थे जिससे हमारे एसेम्बली के चुने हुए सदस्य कुछ भी न कर सकते थे। हम लोग किसी देश से सन्धि, लड़ाई अथवा किसी प्रकार की व्यापारिक बातचीत बिना अँगरेज़ी सरकार की आज्ञा के नहीं कर सकते थे। खजाने पर, सिक्कों पर, व्यापारिक नीति पर तथा फ़ौज पर हमारा कोई अधिकार नहीं था।

कांग्रेस तथा अन्य दलों को यह मान्य न था और वे लगातार स्वतन्त्रता की माँग के लिए लड़ते रहते थे। आख़िर ब्रिटेन से सेक्रेटरी आफ़ स्टेट, लार्ड पैथिक लारेन्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एलेक्ज़ेंडर भारत आये। यहाँ रहकर उन्होने सभी दलों से बातचीत की और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर ज़ोर दिया। उन्हीं के प्रयत्न से यह अन्तर्कालीन योजना बन गई है।

अन्तकालीन योजना के साथ साथ एक दीर्घकालीन योजना भी बन गई है। इसके अनुसार भारतवर्ष को तीन भागों में बाँटा गया है। हर एक भाग के लिए कुछ निश्चित प्रतिनिधि प्रान्तीय एसेम्बली द्वारा चुने जायँगे। वे प्रतिनिधि उस भाग का नया विधान बनावेंगे। इसी तरह केन्द्रीय सरकार का विधान बनाने के लिए भी

एक प्रतिनिधि सभा बन गई है। यह प्रतिनिधि सभा शीघ्र ही विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ कर देगी। जब तक विधान नहीं बन जाता और राष्ट्रीय सरकार ठीक से काम नहीं करने लगती, तब तक यह अन्तर्कालीन सरकार—जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं—सब कामों की देखभाल करती रहेगी। वायसराय महोदय ने अपने ब्रॉडकास्ट (बयान) में कहा है कि हम इस अन्तर्कालीन सरकार को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देंगे और दिन प्रति दिन के शासन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली जायगी।

इस विवरण से अन्तर्कालीन सरकार के बारे में कुछ जानकारी हो जाती है। अभी तक केन्द्रीय सरकार १९१९ के भारतीय कानून के अनुसार चलती थी। केन्द्रीय सरकार वायसराय के अधीन थी। वायसराय की सलाहकार कमिटी के सदस्यों की संख्या तथा उनकी नौकरी, वेतन आदि का ज़िम्मा वायसराय का ही होता था। इसके अलावा एक केन्द्रीय एसेम्बली होती थी जिसकी बैठकें दिल्ली और शिमले में होती थीं। इस एसेम्बली (धारा सभा) के दो भाग थे। एक बड़ी सभा या लेजिस्लेटिव कौंसिल और दूसरी छोटी धारा सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली)। इन दोनों धारा-सभाओं में कुछ सदस्य चुने हुए जाते थे तथा कुछ का निर्वाचन वायसराय करते थे। बड़ी सभा में कुल ५८ सदस्य होते थे। उसमें से ३२ निर्वाचित तथा २६ नामज़द होते थे। एसेम्बली में १४१ मेम्बर होते थे। उनमें १०२ निर्वाचित तथा अन्य ३९ नामजद होते थे।

दोनों सभाओं के निर्वाचन की प्रथा सीधी थी। इन सभाओं

के निर्वाचन में वही वोट दे सकते थे जो या तो पहले कभी या इस समय किसी भी धारासभा के मेम्बर रह चुके हों, या जो म्यूनिस्पैल्टी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कोई बड़े पद पर हों या जो यूनीवर्सिटी की किसी शासन-समिति के मेम्बर हों। ग़रीब किसान लोग न तो इसके मेम्बर ही बन सकते थे और न वोट दे सकते थे। हाँ, बडे बड़े ज़मींदार ही, जिनके पास काफ़ी सपत्ति है इसके चुनाव में वोट दे सकते थे।

इन धारासभाओं के चुनाव, निर्वाचन तथा हकों में क्या परिवर्तन होंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सब कुछ विधाननिर्मात्री सभा के ऊपर निर्भर रहेगा, जिसके मेम्बर चुने जा चुके है।

प्रान्तीय सरकार

हमारे देश में ११ प्रान्तीय सरकारें है। ये सरकारें खेती, पुलिस, शिक्षा, जंगल, सफाई, जेल, व्यवसाय, आबपाशी आदि के कामों में केन्द्रीय सरकार से बिलकुल अलग और पूर्ण स्वतन्त्र हैं।

प्रान्त में सबसे बड़ा अफ़सर गवर्नर होता है। युक्तप्रान्त में १९४२ के समय सर् मैरिस हैलिट् गवर्नर थे। अब उनकी जगह सर फ्रान्सिस विली है। प्रान्तीय सरकार बनाने तथा उसकी देखरेख की ज़िम्मेदारी गवर्नर के ऊपर ही है।

गवर्नर अपनी मदद के लिए तथा सरकारी काम करने के लिए एक कमिटी बनाता है जिसको मंत्रिमंडल कहते है। इस मन्त्रिमडल में कितने सदस्य हों यह कार्य के ऊपर निर्भर रहता है। युक्त प्रान्त

में इस समय प्रधान मन्त्री माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त, अर्थ और शिक्षा के मन्त्री माननीय सम्पूर्णानन्द, गृहसचिव माननीय रफ़ी अहमद किदवई, न्यायमन्त्री माननीय कैलाशनाथ काटजू तथा सफ़ाई की मन्त्रिणी माननीया विजयलक्ष्मी पंडित हैं। इसके अलावा हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम, गिरधारी लाल, ठाकुर हुकुमसिंह तथा एच० एस० शेरवानी अन्य मन्त्री है। इस तरह कुल मिलाकर ९ मन्त्री है।

इन मन्त्रियों के काम की देखरेख करने तथा ग़लती के समय उनको बताने के लिए एक असेम्बली (धारासभा) होती है। किसी-किसी प्रान्त में दो सभाएँ है तथा किन्ही में एक ही। बंगाल, मद्रास, बम्बई, युक्त प्रान्त, बिहार तथा आसाम में दो धारासभाएँ हैं, बाकी में सिर्फ एक। जहाँ एक ही सभा है वह प्रान्तीय धारासभा कहलाती है तथा जहाँ दो धारासभाएँ है वहाँ एक बड़ी सभा तथा दूसरी छोटी सभा कहलाती हे। युक्त प्रान्त की छोटी सभा में कुल २२८ मेम्बर है और बड़ी में ५८—६०। इसी तरह प्रत्येक प्रान्त में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई है और उतने मेम्बर ही धारासभा के कार्यों में भाग ले सकते है।

धारासभाओं के मेम्बरों को चुनने के लिए वोटरों की एक फ़िह-रिस्त बनाई जाती है। उसमें जिनका नाम होता है वही वोट दे सकते हैं।। वोट या मत देकर वे यह बताते है कि हम जिनको अपना प्रतिनिधि चुनते है वह व्यक्ति हमारे हित का ध्यान रखेगा।

प्रान्तीय धारासभा में वोट देने के लिए आवश्यक योग्यताएँ—

(१) वोटर की उम्र २१ साल की हो तथा वह प्रान्त या किसी रियासत का नागरिक हो।

वह आय कर (इन्कम टैक्स) देता हो या ५०) से १५०) रुपये तक म्यूनीसिपैल्टी का टैक्स देता हो।

(२) ऐसे मकान में रहता हो जिसका किराया ६ रुपया साल से २४ रुपया साल हो या ऐसे मकान का मालिक हो या ज़मीन पर इतना ही लगान देता हो।

(३) वह युक्त प्रान्त में कम से कम प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा हो। बगाल, बिहार तथा बम्बई में यह आवश्यक है कि वोटर कम से कम अँगरेज़ी के दसवें दर्जे तक पढ़ा हो।

(४) या फौज में काम कर चुका हो।

(५) औरतों के लिए कुछ विशेष सुविधाएँ हैं। कोई भी औरत, जिसको पेन्शन मिलती है या जिसका लडका फ़ौज में सिपाही है या जिसका पति कम से कम १॥) म्यूनिस्पेल्टी का टैक्स देता है या २रुपया चौकीदारी टैक्स देता है, वोट देने की अधिकारिणी है।

क़ानून से गवर्नर को बहुत अधिकार प्राप्त है। यदि वह उनका स्वेच्छापूर्वक उपयोग करे तो प्रान्तीय मंत्री कुछ भी नहीं कर सकते पर व्यवहार में गवर्नर ऐसा करता नहीं है। वह मन्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता देता है। वास्तव में सन् १९३७ में इसी प्रश्न पर बड़ी गड़बड़ हुई थी और कांग्रेसी मन्त्रियो ने सरकार की बागडोर लेना अस्वीकार कर दिया था। बाद में गाँधीजी तथा गवर्नर के बीच एक समझौता हुआ जो 'भले मानसों का समझौता' कहलाता है। उसके अनुसार गवर्नर

ने यह आश्वासन दिया कि जब तक कोई विशेष कारण उपस्थित न हो जायगा, मैं मन्त्रियों के मामलों में हस्तक्षेप नही करूँगा। फिर भी गवर्नर शान्ति स्थापित करने, अराजकता दूर करने, निर्बल, अनुन्नत या अल्पसंख्यकों के उचित अधिकारों की रक्षा करने; पब्लिक सर्विस के नौकरों का तथा उनके बालकों के हित का विचार रखने; गवर्नर-जनरल की आज्ञा का पालन करने तथा देशी रियासतों के अधिकार एव प्रतिष्ठा को स्थिर रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। ऐसे हर कार्य में वह गवर्नर-जनरल के अधीन है।

संयुक्त प्रान्त की पिछली कांग्रेसी सरकार के कार्य

सन् १९३५ के पहले गाँवों की दशा सुधारने का कार्य डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के हाथ में था। परिणाम यह था कि गाँवों की तरफ़ कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता था। उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी। सन् १९३५ में सरकार ने गाँवों की तरफ़ विशेष ध्यान दिया। केन्द्रीय सरकार की १५ लाख की ग्रान्ट में स्वय एक लाख बढ़ाकर इसने ग्राम-उद्धार की पंच-वर्षीय एक योजना कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। ग्राम-उद्धार का कार्य कलक्टर के हाथ सौंपा गया और उसको मदद के लिए कुछ आदमी भी दिये गये। ४५ ज़िलों में कार्य प्रारम्भ किया गया और हर ज़िले को पाँच हज़ार रुपये की रकम व्यय करने को दी गई। हर ज़िले में ७२ गाँव छाँट लिये गये थे जिनको छः भागों में विभक्त

कर दिया गया था। हर भाग का एक सुपरवाइजर होता था और हर ज़िले का एक इन्सपैक्टर। पर इस योजना में काफी रुपया काम करनेवालों के वेतन में ही व्यय हो जाता था। और एक ज़िले पर ५००० रुपये से अधिक व्यय न हो पाता था।

जब १९३७ में कॉंग्रेस सरकार बनी तब इसी योजना पर काम किया जा रहा था। देखने पर मालूम हुआ कि वास्तव में तो यह सब क़ाग़जी बातचीत है, गाँवों को कुछ भी लाभ नहीं होता। कांग्रेस सरकार ने सब देख भाल कर गाँवों की सख्या ७२ से बढ़ाकर ३०० कर दी और उन्हें बीस केन्द्रों में बाँट दिया।

पुराने काम करनेवालों की जगह कम वेतन पर पढ़े-लिखे आदमी, जिनको गाँववालों से सहानुभूति थी, रखे गये। कांग्रेस सरकार ने इस बीत पर ज़ोर दिया कि ग्रामोद्धार की योजनाओं में खेती का उन्नति, पशु-पालन, घरेलू उद्योग-धन्धे, क़र्जा और उनका निवारण, सफाई तथा दवा, सड़क और पढ़ाई आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाय और जहॉ तक हो सके, सरकारी तथा नागरिक लोगों एव संस्थाओं में अधिक से अधिक एकता हो। इन सब कामों के लिए सहकारी समितियाँ तथा पचायतघरों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया और उनकी सख्या काफी बढाई गई। गॉव के हर बालिग को या कम से कम हर घर से एक को इनका मेम्बर होना पड़ता था। इससे यह होता है कि हर एक को इन कामो से दिलचस्पी हो जाती है। गॉवों में 'अच्छी रहन-सहन समितियेा' का भी निर्माण किया गया और बाद में एक प्रान्तीय

ग्राम-उद्धार बोर्ड का, जो कि प्रान्त भर की ग्रामोद्धार संस्थाओं की देख भाल करता था।

सिर्फ दो साल के अन्दर ही ४००० अच्छी रहन-सहन समितियाँ तथा ४०० पंचायतें बन गईं। ये दोनों संस्थाएँ ग्रामोद्धार योजना के आधार है। इनके खुलने पर ग्राम की अन्य समस्याओं पर दृष्टि डाली जाती है और उनको धीरे धीरे करके या जैसे सम्भव हो, निपटाया जाता है।

दो साल में ही बीज-घरों की संख्या बढ कर ३८० हो गई। सरकार ने १९३९-४० में २५ लाख रुपया देकर नये नये बीज-गृहों का निर्माण कराया। दो लाख जगह अच्छे अच्छे बीजों को बोकर दिखाया गया कि उनसे क्या फ़ायदे हैं। ५०,००० रुपये बढ़िया खाद खरीदने के लिए व्यय किये गये तथा १५०० साँड़ों को विभिन्न जगह बाँट दिया गया। करीब २२,००० अच्छे औज़ार बाँटे गये तथा २,५०,००० फलों के पेड़ मुफ्त में दिये गये। ७०० एकड़ भूमि चरी उगाने के लिए दे दी गई। पीने तथा सिंचाई के पानी का ठीक से प्रबन्ध करने के लिए ८०० कुएँ नये खुदाये गये तथा ३००० पुराने कुएँ ठीक किये गये। घरेलू उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिए सरकार ने १० हज़ार लोगों को सिखला कर गाँवों में भेजा जहाँ वे लोगों को सिखाते थे। घरेलू उद्योग-धन्धे खोलने के लिए बड़ी बड़ी रक़में भी लोगों को दी गईं। अखिल-भारतीय चरखा-संघ को ही २३,०४० रुपये की रक़म

सक्खर-बाँध

नदियो से नहरे निकालने के लिए पहले बाँध बाँधे जाते है जिससे पानी सचित हो और ठीक समय पर उचित मात्रा मे, नहरो को दिया जा सके। यह बाँध सिन्ध प्रान्त मे, सक्खर नामक स्थान पर, सिन्ध नदी मे बनाया गया है। यह ससार का सबसे ऊँचा बाँध है। यह १ मील लम्बा और १६० फुट ऊँचा है।

दी गई जिससे उसने शिक्षा के ६६ नये केन्द्र खोले। गाँवों की बनी हुई चीज़ें बेचने को ३७ ज़िलों में ७० स्टोर खोले गये।

कांग्रेस सरकार ने ४,००० अस्पताल, १४६ आयुर्वेदीय तथा यूनानी और ४८ स्थिर तथा १६ अस्थिर (घूमनेवाले) अस्पताल भी खोले। औरतों के लिए २४ जच्चा-अस्पताल खोलने का भी आयोजन था। पढ़ाई-लिखाई के लिए भी मास्टर रखे गये, स्कूल खोले गये तथा पुस्तकालयों का आयोजन हुआ। शिक्षा-प्रसार अफ़सर के हाथ में ७६८ पुस्तकालय तथा ३६०० पढ़ने के स्थान हैं। ग्राम-उद्धार-बोर्ड के हाथ में ५४० पुस्तकालय, १,८७२ प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्र और ३७० बालिका-विद्यालय हैं। सन् १९३९ में ही ३,१५,००० व्यक्तियों को पढ़ना-लिखना सिखा दिया गया था। उसी साल से रेडियो पर ३० मिनट का ग्रामीण प्रोग्राम भी लखनऊ रेडियो से ग्रामीण भाषा में रोज ब्राडकास्ट होता है। लोगों की तन्दुरुस्ती ठीक रखने के लिए सरकार ने हर ज़िले में अखाड़े खोलने के लिए १००० रुपये की रक़म की स्वीकृति दी थी। एक तीन वर्षीय योजना २,५०० मील सड़क बनवाने के लिए भी सरकार ने बनाई थी। कांग्रेस सरकार ने मालगुज़ारी एक्ट भी गाँववालों की भलाई के लिए बदला था।

ऊपर के वर्णन से आप समझ गये होंगे कि कांग्रेस सरकार गाँववालों की भलाई के लिए काफ़ी तत्पर है। यह अब गाँववालों के ऊपर है कि वे दिलचस्पी दिखावें और इन भलाइयों से समुचित फ़ायदा उठावें।

भूत-प्रेत

गया कोइरी १८-२० वर्ष का युवक है। घर तो उसका देहात में है जहाँ मा-बाप और भाई-बहन खेती करते हैं, पर वह लड़कपन से अपने चचा के पास काशी में रहता है। चचा एक रईस के बाग़ में माली है। शहर में रहकर गया एक कारखाने में काम करने लगा।

अबकी बार जब वह इतवार की छुट्टी में अपने गाँव गया तो बहुत ही उदास होकर लौटा। पूछने पर उसने बतलाया कि अम्मा मेरी घरवाली को नहीं बुलाना चाहती। कहती है, तेरी ससुराल का भूत तेरी दुलहिन के साथ आकर हमारा बहुत नुक़सान करता है। पिछली बार उस भूत ने हमारा अच्छा ख़ासा बैल मार डाला था। इस बार न जाने क्या करे। हम भुतही बहू को न बुलावेंगे। तेरी दूसरी जगह सगाई कर देंगे। पर गया अपनी घरवाली को चाहता है। वह उसे नाहक़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अन्त में गया के चचा ने बीच का रास्ता निकाला। गया की ससुरालवालों से सलाह करके उसने एक चमार ओझा को बुलाया। उसे कुछ रुपये और एक बकरा देकर करार करवा लिया कि अब बहू के साथ भूत न आने पावे। मुट्ठी गरम होने और खाने को बकरा मिलने से ओझा ख़ुशी से राज़ी हो गया। उसने पक्का वादा किया कि अब भूत आवे तो मेरी मूँछ मुँड़वा देना।

कहना न होगा कि गया को कर्ज़ लेकर ओझा की माँग पूरी करनी पड़ी।

× × × ×

जो बरगद का पेड़ मुहल्ले के बाहरी कोने पर है, जहाँ शाम को लोग कम आते-जाते हैं और जहाँ शाम से ही सन्नाटा हो जाता है वहाँ पर लोग अपने बच्चों को बेवक्त जाने से रोकते हैं। कहते हैं, वहाँ चुड़ैलें रहती हैं। वे रात को हँसती हैं, गाती हैं और ढोल बजाती हैं। अगर वहाँ कोई अकेला-दुकेला जा निकलता है तो उसकी गर्दन दबा देती हैं।

मुशी त्रिवेणीप्रसाद अभी स्कूल में पढ़ते थे। पन्द्रह-सोलह वर्ष के थे। आपने कहा कि हम तो ज़िन्दा हैं और भूत या चुड़ैल अगर कोई है तो मुर्दा है। जो मर चुका वह मनुष्य का क्या कर सकता है। उन्होंने बरगद की चुड़ैलों का तमाशा देखना चाहा। एक दिन शाम को वे चुपचाप उस बरगद के नीचे जा बैठे। कुछ देर तक बैठे-बैठे उनका जी ऊब गया। सूनेपन से घबड़ाकर उन्होंने घर जाने को उठना चाहा तो देखा कि कुर्ते का पिछला कोना किसी ने दबा रक्खा है। बेचारे बैठ गये और सोचने लगे कि तो क्या चुड़ैल आकर अपना कर्तब दिखला रही है! जी में धुकुर-पुकुर होने लगी। रोंगटे खड़े हो गये! सहायता के लिए किसी को पुकारना चाहा, लेकिन घिग्घी बँध गई। पीछे घूमकर देखने की हिम्मत न होती थी। अब क्या करें? उनको हनुमान्‌जी का स्मरण हुआ। यह भी याद आई कि हनुमान्‌जी के आगे भूत-प्रेत किसी की नहीं चलती। कुछ

हिम्मत बँधी। उन्होंने बिना पीछे देखे, धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर, चुड़ैल के हाथ से अपने कुर्ते का कोना छुड़ाना चाहा तो देखा कि जूते की एड़ी के नीचे कुर्ते का कोना दबा हुआ है जिससे उठते समय कुर्ता खिंचता था और जान पड़ता था कि चुड़ैल ने पकड़ लिया है। असलियत मालूम होते ही डर दूर हो गया। न था भूत-प्रेत और न थी चुड़ैल।

× × × ×

बाबू श्यामलाल कालेज में पढने आगरा गये तो शहर से बाहर क़ब्रिस्तान के पास एक मामूली से घर में जाकर ठहर गये। बाबू श्यामलाल को एकान्त पसन्द है, इसलिए यह घर उनको अच्छा लगा। यह मुद्दत से ख़ाली पड़ा था। लोगों ने आपको बतलाया कि इसमें भूत-प्रेत रहते हैं। अब और कहीं जाकर रहिए। पर श्यामलाल जी ने इन बातों की कुछ परवा न की। दिल उनका मज़बूत था और शरीर भी हट्टा-कट्टा था। वे प्रातःकाल कसरत करते, मुगदर फेरते और टहलते भी थे। आपके पास-पड़ोस में कोई था नहीं। उस मकान में एक ही कमरा अच्छा था। इसी में वे पढ़ते-लिखते और सोते थे। कमरे के कोने में मकान-मालिक का एक बड़ा सा बल्लम रक्खा रहता था।

एक बार रात को लगभग १२ बजे एकाएक श्यामलालजी की नींद टूट गई। कमरे के पिछवाड़ क़ब्रें थीं। वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। श्यामलालजी को यह बर्दाश्त न हुआ कि इतनी रात को कोई उनकी नींद में ख़लल डाले। उन्होंने खिड़की में से झाँककर

देखा कि एक क़ब्र के पास आग जल रही है और एक आदमी बैठा बैठा कुछ पढ़ रहा है। जाँघिया पहने, नंगे बदन, श्यामलाल बल्लम लेकर उस व्यक्ति के पास जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक नंग-धड़ंग आदमी कुछ बड़बड़ाकर आग में कोई चीज़ डालता जाता है। पास जाकर उसके पास खडे हो जाने पर भी न तो उसने मुड़कर इनकी ओर देखा और न कुछ कहा। यह देखकर आपने उससे कहा—बड़बड़ाना बन्द कर दो।

जब उसने इतने पर भी अपना काम जारी रक्खा तो आपने उसकी पीठ में बल्लम की नोक चुभाते हुए कहा—'तो तुम चुप नहीं होगे!' उन्होंने उसे घुड़की देकर कहा—इसी दम यहाँ से चले जाओ।

अब तो वह आदमी लाल-लाल आँखें किये हुए खड़ा हो गया, पर गहरे काले रंग के तगड़े आदमी को अँधेरी रात में सामने देखकर उसकी नसें ढीली पड़ गई। वह हाथ जोड़े हुए गिड़गिड़ाकर कहने लगा—देवता! इतने दिन बाद कृपा की तो इस तरह! धन्य हो। मै तो निहाल हो गया। आज मेरी तपस्या सफल हो गई।

अन्त में श्यामलालजी ने ज़ोर से धमकाकर, उसकी छाती में बल्लम लगाकर, कहा—'भागो यहाँ से!' फिर भी उसने इनके पैरों में गिरकर कहा—अब तो दया कीजिए। मै कल ही बकरा चढ़ाऊँगा। यहाँ आने की अब मुझे ज़रूरत ही क्या? बस, मेरी मुराद पूरी हो जानी चाहिए।

श्यामलालजी को अब ख़याल हुआ कि यह क़ब्रिस्तान है!

आधी रात को मेरी अजब सूरत-शकल देखकर यह भूत समझ कर मेरी ख़ुशामद कर रहा है। लोग समझते है कि मसान में भूत-प्रेत रहते हैं और उन्हें वश में करने के लिए लोग आधी रात में वहाँ जाकर तन्त्र-मन्त्र करते है। बीच में विघ्न हो जाने से सिद्धि नहीं होती। यह सब सोचने से श्यामलालजी को हँसी आ गई। अन्त में उन्होंने उस आदमी की गर्दन पकड़ कर कहा—कम्बख़्त, मै भूत नहीं हूँ। यहाँ फिर कभी मत आना। जो फिर आवेगा तो ज़िन्दा न बचेगा। वह देख, सामने मेरा घर है।

धक्का देने पर वह आदमी बिना पीछे देखे भाग गया। उस दिन से श्यामलालजी उस घर में बेखटके रहे। उनके मकान खाली करने पर दूसरे किरायेदार उसमें आकर आराम से रहने लगे।

× × × ×

लाला शम्भुदयाल का दूसरा विवाह हुए दो वर्ष से कुछ अधिक समय हो गया। अब वे एक बच्चे के बाप हैं। गोद में बच्चे को लेकर बहुत ही प्रसन्न रहते है। लेकिन एक चिन्ता है। घरवाली दुखी रहती है। दवा की गई तो कुछ अच्छी रहने लगी लेकिन कुछ ही दिनों में फिर डरी-डरी-सी रहने लगी। एक दिन उसने लालाजी से कहा कि मुझे अम्माँ के पास भेज दो। यहाँ मेरा जी अच्छा नहीं रहता। लाला ने दिलासा देकर उससे पूछा कि आख़िर यहाँ तुम्हें कौन सी तकलीफ़ है।

बहुत आग्रह करने पर उसने बतलाया कि मुझे दीदी धमकाती हैं। कहती हैं कि यहाँ रहेगी तो तेरे बच्चे को मार डालूँगी और

तेरी गर्दन मरोड़ दूँगी; बड़ी आई है मेरे आदमी पर क़ब्ज़ा करने। दाँत पीसती है और मारने को दौड़ती हैं। उनके डर के मारे न तो मुझे खाना-पीना अच्छा लगता है और न सुख की नींद आती है। लल्ला भी रोता रहता है।

लाला ने पत्नी को पास बिठाकर उसे दिलासा दिया और कहा कि तुझे तो योंही वहम हो गया है। जिसे तूने कभी देखा नहीं उसको तू पहचानेगी क्योंकर ? और जो मर-खप गई है उसी ने तुझे कब कहाँ देखा था ? तू अपने मन से शंका दूर कर दे। मेरे रहते तुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता।

बहू को हज़ार समझाया गया पर उसके दिल से दहशत दूर न हुई तब लाला ने अपने मित्र देवीदयाल को कुल हाल सुनाकर उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि भाई, एक तो औरतें योंही डरपोक होती हैं और जब उनको अपनी मरी हुई सौत की याद आती है तो उनका कलेजा धड़कने लगता है। कहीं के पुराने क़िस्से सुनाकर पड़ोसिनें भी डरवा देती है कि मरी हुई सौत चुड़ैल बनकर बहुत दुख देती है। तुमको भूत-प्रेतों पर विश्वास तो है नहीं, फिर भी दिल से दहशत दूर करने के लिए झूठ-मूठ को एक तावीज़ लाकर घरवाली को पहना दो और कह दो कि जब तक गले में तावीज़ रहेगा, तुमको कोई बाधा नहीं हो सकती। पण्डितजी ने मन्त्र पढ़कर भूत को भगा दिया है। घर बुलाकर अपने सामने पण्डितजी को एक सीधा दिला देना और घर-वाली से कह देना कि ये पण्डितजी तो सिद्ध पुरुष हैं। बस, मामला फ़तह समझो।

लाला ने यही किया। जिस दिन से बहू ने तावीज़ पहना है, न तो उसे बुरे सपने दीखते हैं और न कोई उसको मार डालने की धमकी देता है।

× × × ×

परिडत घुरहूराम देहात में मरीज़ देखने गये। रोगी की नाड़ी देखी, बीमार का कच्चा हाल सुना, दवा दी और फीस लेकर चलने लगे तो रोगी की मा ने बाहर आकर उनसे पूछा—महाराज, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है। हो तो कृपाकर उसका भी कुछ उपाय कर दीजिए। परिडतजी बैठ गये। उन्होंने लौगें मँगवाकर गिनीं। कुछ सोच-विचार किया और अन्त में कहा कि गाँव के बाहर एक पेड़ पर प्रेत रहता है। उसी की बाधा है। कुछ चिन्ता नही। उपाय कर दिया जायगा। भभूत और गराडा हमारे यहाँ से मँगवा लेना।

* * *

घुरहूराम को रास्ते में एक पढ़ा-लिखा आदमी मिल गया। उसने, भूतों की माया फैलाने के लिए, घुरहूराम को आड़े हाथों लिया तो आपने कहा कि भाई, मै किसी को भूत लगाता तो हूँ नहीं। किसी को शंका होती है तो मै उसी को दूर करने की कोशिश करता हूँ। यों लोगों का भला ही करता हूँ। किसी के घर डाका डालता नहीं। जिसका काम सिद्ध हो जाता है वह मुझे दान-दक्षिणा देता है तो मै क्यों न लूँ। मै कोई दूसरा पेशा करता नही हूँ और भूत-प्रेत कुछ आज से तो हैं नहीं। जिस समय हिन्दुओं का प्रसिद्ध पुराण श्रीमद्भागवत बना उस समय भी भूतों की लीला होती थी।

श्रीमद्भागवत का पाठ सुनाकर गोकर्ण ने अपने भाई धुन्धकारी को प्रेतयोनि से छुड़ाया था। लिखा है कि धुन्धकारी बड़ा पाजी था। शराब पीता और मांस खाता था। रण्डियों के यहाँ जाता था और उनको ख़ुश रखने के लिए चोरी करके माल लाता था। उसकी चोरियों से डरकर अन्त में उन्हीं रण्डियों ने उसे गुप्त रूप से मार डाला था, जिनकी वह ख़ुशामद करता था। बे-मौत मारे जाने से धुन्धकारी भूत होकर उत्पात किया करता था।

ख़ैर, श्रीमद्भागवत की बात को जाने दो। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण तो तुमने पढ़ी होगी। जो लोग पढना नहीं जानते उन्होंने सुनी ज़रूर होगी। उसमें एक प्रसङ्ग है। भरत अपने ननिहाल से अयोध्या आये तो उन्होंने राजधानी को बेरौनक, नर-नारियों को उदास और महलों को वीरान-सा पाया। माता कैकेयी से राजा दशरथ के गुज़र जाने और सीताराम के वनवास का हाल सुना तो उनकी बुरी गति हो गई। वे विह्वल होकर अन्त में रामचन्द्र की माता कौशल्या के पास गये। वहाँ उन्होंने अपनी सफ़ाई देते हुए कहा है—

जे परिहरि हरिहरचरन, भजहिं भूतगन घोर।
तिन्हकी गति मोहि देउ विधि, जौ जननी मत मोर॥

जो लोग भगवान् के चरणों की सेवा छोडकर भयावने भूतों की पूजा करते है उन लोगों की अन्त में दुर्गति होती है। हे माता, यदि मै इस जजाल में रहा होऊँ तो मेरी भी वैसी ही दुर्गति हो।

बादशाह अकबर के समय में महात्मा तुलसीदास थे और कहते

हैं कि तुलसीदासजी को एक प्रेत ने ही हनुमान्जी के दर्शन की युक्ति बतलाई थी।

यह तो हुई हिन्दुओं की बात। मुसलमानों और ईसाइयों में भी भूत-प्रेत होते है। यह ज़रूर है कि उनके यहाँ इनके नाम दूसरे हैं और पूजा करने का तरीक़ा भी और ही है।

उस आदमी ने कहा—पण्डित जी महाराज, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि भूत-प्रेत होते भी है या नही और पुस्तकों में उनका कहाँ कैसा जिक्र है। हमें तो इतना ही कहना है कि अगर वे हैं तो हमारा कुछ नुक़सान नहीं कर सकते। हमको उनसे रत्ती भर भी न डरना चाहिए। भूत तो असल में भय का होता है। जो निडर है उसके आगे भूत-प्रेत कोई नहीं ठहर सकता। आत्मा को सबल रखने से डर को जगह नहीं रहती।

बीमारी भूत-प्रेतों से नहीं होती, होती है तन्दुरुस्ती के नियमों का पालन न करने से। जो साफ़ नहीं रहेगा, जिसका हाज़मा ठीक नहीं होगा, जो बुरी सोहबत में रहेगा और बुरे काम करेगा उसकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहेगी और उसकी आत्मा भी कमज़ोर हो जायगी। ऐसा आदमी जब बीमार पड़ेगा तब उसको बुरे और भयावने सपने दिखाई देंगे। वह घबराहट में अंट-शंट बकेगा। इसी को अशिक्षित लोग प्रेत-बाधा कहने लगेंगे। महाराज, इलाज होना चाहिए रोग का, उपाय होना चाहिए मन को सबल और स्वस्थ रखने का। सो दुनिया यह तो कुछ करती नहीं, उलटे मार्ग पर चलकर बर्बाद होती है। और आप लोग इस अन्ध-परम्परा को क़ायम रखने में सहायक होते हैं।

घुरहू पण्डित ने कहा—भाई, हमारा काम भूत लगाना नहीं है। हम तो जनता के हितैषी है। जिस तरह उसका भला होता है वही करते हैं। यदि कोई हमें प्रेत-बाधा दूर करने को न बुलावे तो हमको उसके घर जाने की क्या ज़रूरत। आप लोगों को भूत-प्रेतों पर विश्वास नहीं है तो जनता के मन से अन्ध विश्वास को निकालने का उपाय कीजिए। हमसे झगड़ा करने से भूत-प्रेत नहीं भाग सकते। और हिन्दू लोग भूत-प्रेतों को क्या छोड़ेंगे, वे तो उन गाज़ी मियाँ तक की पूजा करते है जिनको राजा सुहेलदेव ने बड़ी वीरता से मारा था। जब तक अन्ध-परम्परा है तब तक हमारी और हम जैसे और लोगों की पाँचों घी में रहेंगी।

× × × ×

पण्डित घुरहूराम वैद्य पीछे है, किन्तु मन्त्रशास्त्री पहले। वे न तो सिर के बाल कटाते है और न डाढ़ी मुड़ाते है। लाल रंग के कपड़े पहनते, लाल ही तिलक लगाते और कई तरह की मालाएँ पहनते हैं। रात को देर तक पूजा किया करते हैं। आज कल मुहल्ले की एक युवती उनके यहाँ रात को आ जाती है। घुरहू पण्डित को पूजा के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले और भी कुछ जवान स्त्रियाँ इनके यहाँ रात को आती रही है। कोई बरस भर रही, कोई दो बरस। कोई नहीं जानता कि पण्डित कैसी क्या पूजा करते हैं। यह स्त्री, जो आजकल आती है अपनी ससुराल नहीं जाती। ज़बर्दस्ती यदि ले जाई जाती है तो वहाँ अक्सर बेहोश हो जाती है, बीमार पड जाती है और अण्ड-बण्ड बकने लगती है। घुरहू कहते

"बड़ी उठानेवाली बनी हो। जो पंडित इधर न निकलते तो बेचारा पड़ा-पड़ा चिल्लाता रहता। सारे कपड़े ख़ून से तर हो गये थे। तुम्हें तो इतनी भी दया न आई कि हाथ पकड़कर उठा देतीं। बेचारे लड़के से कौन दुश्मनी तुम्हें निकालनी थी?"

"देखो न! अच्छा जमाना है। उपकार का अच्छा बदला मिल रहा है। अहसान मानना तो दूर, उलटा बातें सुनने को मिल रही है। अपने पंडित से क्यों न पूछ लिया कि उन्होंने कहाँ से लड़के को उठाया था? बड़ा दम भरने चलीं है पंडित का।"

"खबरदार जो आगे बढ़ी। बहुत मुँह न चलाना।"

'अरे भाई क्यों सीस-पाँव हुई जाती हो? बात का बतगड़ न बनाओ। अच्छी बात कहते बुरा लगता है। अभी उस दिन शहर के चार पाँच भले आदमी आये थे। बेचारे सब से हाथ जोड़-जोड़ चिरौरी-विनती कर गये कि कोई यहाँ पानी न गिराये जिससे कुएँ के चारों तरफ़ की गन्दगी दूर हो जाय। उनका यहाँ क्या धरा है? वे तो हमारी सब की भलाई की बात कह गये थे।"

"ऐसी भलाई करनेवाले मारे-मारे फिरते हैं। जी उकताया तो शहर से हाथ हिलाते सैर करने चले आये और लगे छोटे मुँह बड़ी बातें करने। कल के लड़के बड़े-बूढ़ों को समझाने चले। लाज नहीं आती! ऐसी ही भलाई करनी थी तो सरकार से कहकर पक्की जगत बनवा देते। जिसे देखो वही बिरस्पति बनकर समझाने आ जाता है—ऐसा करो, वैसा करो। बात बनाना आसान है न! हाथ से मेहनत-मसक्क़त करनी पड़े तो घरे घाम आ जाय।"

"अरी सुखिया, उन बेचारों को क्यों जली-कटी सुनाने लगी। अगर थोड़ा आगे बढ़कर नहाओगी तो क्या बिगड़ जायगा? जान बूझ कर जिद कर रही हो?"

"तुम चुप रहो सितबिया, यह कुँआ कुछ तुम्हारे बाँट नहीं लिख गया जो बड़ी मलकिन बनकर हुक्म चलाने बैठी हो। हमसे न जाने क्यों हमेशा लाग लगाये रहती हो। गाँव में अब उठना-बैठना, चलना-फिरना मुश्किल हो जायगा क्या? जितना सहता जाय लोग उतना और सिर पर चढ़ते है। क्यों लड़ने पर उतारू हो। गाँव का साँड़ बन रही हो। बडे-बड़े सींग निकल आये हैं—अब क्यों कोई गाँव में रहने पायगा?"

सितबिया यह वाक्प्रहार सुनकर आग-बगूला हो उठी। कड़क कर बोली—"बस! बस! बहुत मुँह चलने लगा है। किसके बल पर कूद रही हो? अभी सारी सेखी मट्टी में मिलाये देती हूँ। नहाओ, देखूँ कैसे नहाती हो! अभी लोटा-गगरा सब फेंके देती हूँ।"

"बड़ी बहादुर हो तो आओ न।"

यह ललकार सुनकर सितबिया एक ईंट उठाकर झपट पड़ी।

× × × ×

गाँव-सुधार का काम बड़े ज़ोर से हो रहा था। कम से कम जोश तो खूब फैल रहा था, काम चाहे जैसा हो रहा हो। गाँव-सुधार का महकमा नींद से जाग उठा था। हर ज़िले में बीस-बीस पचीस-पचीस इन्सपेक्टर नौकर रखे गये थे। हर एक को बीस-बाइस गाँवों में जाने और पंचायतें बना-बना कर गाँव-सुधार करने

का काम सौंपा गया था। बहुत से पढ़े-लिखे आदमी भी अपनी ख़ुशी से इस काम मे हाथ लगा रहे थे, क्योंकि देहातों के सुधार को वे सब से बड़ी देश-सेवा समझते थे, । कालिजों के लड़के बड़े जोश और हौसले के साथ टोलियाँ बना कर गाँवों में जाते और लोगों को सफ़ाई और शिक्षा के लाभ समझाते थे ।

इस गाँव में कालिज के चार-पाँच लड़कों की टोली आने लगी थी। चार-पाँच दिन हुए जब ये लोग यहाँ आये थे । गाँव भर में घूम-घूम कर लोगों से सफ़ाई के बारे में बातचीत की थी। ख़ासकर कुओं के आसपास की गन्दगी हटाने के लिए मुहल्ले-मुहल्ले लोगों के हाथ-पैर जोड़ते फिरे थे । आज अचानक फिर वे लड़के इस कुएँ की तरफ़ आ निकले। उनके साथ सात-आठ गाँववाले भी हो लिये थे । इन्हें देखते ही सुखिया और सितबिया ठिठक कर अलग खड़ी हो गईं ।

टोली के अगुआ वीरसिंह ने कहा—भाइयो, हम लोग आपसे कितनी विनती कर गये थे कि इस कुएँ के आस-पास नहाना-धोना बन्द हो जाय । सब लोग इसी का पानी पीते हैं। मैला पानी बराबर भीतर जाता रहता है । कुएँ पर जगत भी नहीं बनी । लेकिन किसी ने हमारी बात न सुनी। देखो वह माई जी तो अभी यहीं नहा रही थीं ।

सितबिया की आँखें चमक उठी । बड़ी ख़ुश होकर वह सुखिया को देखने लगी । सुखिया कुछ लजाकर, कुछ ग़ुस्सा होकर, नीचे देखने लगी और धीरे-धीरे बड़बड़ाने लगी—किसी का क्या इजारा

है। अपने गाँव का कुँआ है। हाथ से पानी खींचते हैं और नहाते हैं।"

वीरसिंह कहने लगे—देखो न, यहाँ कितना कीचड़ सड़ रहा है? कैसी बदबू आती है! क्या आप लोगों को यह गन्दगी और बदबू बहुत प्यारी है? हर वक़्त यहीं का आपका उठना-बैठना होता है; फिर क्यों नहीं इसे दूर कर देते?

कल्लू बोला—भैया, आप बहुत ठीक कहते है। हमारी भलाई की बात समझाते है; लेकिन कोई मना किये तो मानता नहीं। रोज कौन सब से खॉयखाँय करे। जिससे कहो वही अकड़ने लगता है। यही रग्घू रोज़ यहीं नहाते है। दो-तीन दिन टोका। जब सुनते नहीं तो बार-बार कहने से क्या फ़ायदा।

रग्घू ने झट बात काटते हुए कहा—और जैसे तुम न नहाते हो! कल क्या तुम अपनी धोती नहीं फीच रहे थे?

वीरसिंह ने बीचबिचाव करते हुए कहा—भाई? लड़ने से तो काम न चलेगा। एक दूसरे को दोषी ठहराने से क्या फायदा? सब का काम है। सब को मिलकर करना चाहिए। अगर यहॉ सफाई रहेगी तो सब की भलाई होगी। जब बीमारी फैलती है तो वह किसी एक को नहीं चुन लेती। वह तो अपना हाथ आगे-पीछे दॉयें-बॉयें, हर तरफ फैलाती है। उसे न रग्घू से दोस्ती है न कल्लू से दुश्मनी। अगर आप लोग चाहें तो बात की बात में यहॉ सफ़ाई हो जाय और कीचड़ की जगह सूखी ज़मीन दिखाई देने लगे। इधर-

उधर ऊँचाई से खोदकर मिट्टी कीचड़ के ऊपर डाल दी जाय तो सारी जगह साफ़ और सूखी हो जाय।

एक आदमी बोला—भैया, किसे फुरसत है जो अपना काम छोड़कर यहीं खोदाई-भराई करे। कुआँ कौन एक आदमी का है।

वीरसिंह—हम सब लोगों से कहते है, किसी एक आदमी से नहीं कहते।

वहाँ पर खड़े हुए सभी आदमी एक दूसरे को देखने और मुँह बनाने लगे। किसी ने धीरे से यह भी कह डाला—"पर उपदेस कुसल बहुतेरे।"

वीरसिंह ने सुनी-अनसुनी कर दी। फिर कुछ सोचकर बोले—अच्छा आप लोग दो-तीन फावड़ों का इन्तज़ाम कर दीजिए।

लोगों ने समझा कि यह अब हमसे मिट्टी खोदने के लिए कहेंगे। इसलिए कोई बैल हाँकने के बहाने, कोई किसी बहाने और कोई किसी बहाने वहाँ से खिसकने लगे। सितबिया यह सुनकर अपने घर से दो फावडे उठा लाई। कल्लू भी एक फावड़ा लाकर बोला—लो भैया, अब किसी से कहकर देखो, सब बहाना बनाकर चलने लगे।

वीरसिंह ने किसी से कुछ न कहा। अपना कोट उतार कर एक तरफ़ फेंक दिया और बाहें चढाकर ख़ुद फावडा उठाकर मट्टी खोदने लगा। उसके साथियों ने भी फावडे उठा लिये। इन लड़कों को यह काम करते देखकर सब की आँखें नीची हो गईं।

कल्लू ने दौड़कर वीरसिंह का पैर पकड़ लिया और बोला—भैया, तुम यह क्या करने लगे! तुम हमारे मेहमान हो। चलो बैठो, हम सब काम जैसे तुम चाहोगे, कर देंगे।

सुखिया ने सितबिया के कान मे कुछ कहा और दोनो डलियाँ उठाकर एक तरफ़ को जल्दी जल्दी चल दीं।

× × × ×

कल्लू ने ज़बरदस्ती वीरसिंह और उनके साथियों के हाथ से फावड़े छीन लिये और एक खाट मँगाकर उस पर उन्हें एक तरफ बैठाल दिया और खुद मिट्टी खोदने में जुट गया। उधर और लोग भी फावड़े उठा लाये और बात की बात में चारों तरफ की जमीन बराबर करके कीचड़ पाट दिया गया। जहाँ दस हाथ लग जायँ, वहाँ काम के पूरा होने में देर ही क्या लगती है। लड़कों की इस भलमनसाहत को देखकर आदमी और औरतें सभी सफ़ाई करने लगी। सुखिया और सितबिया दौड़ दौड़कर गोबर लाती थीं और सारी ज़मीन लीप रही थीं। बात की बात में वह बदबूदार ज़मीन लिप-पुत कर झक हो गई।

वीरसिंह ने कहा—भाइयो, आप लोगों के उत्साह की तारीफ़ नही की जा सकती। मिलकर आप लोग आन की आन में नरक को स्वर्ग बना सकते है। लेकिन सब से ज्यादा काम हमारी उन दो माताओं ने किया है। देखो न, कहाँ से झटपट इतना गोबर ले आईं और लीप कर जमीन को साफ चिकना कर दिया।

अपनी इतनी तारीफ़ सुनकर सुखिया और सितबिया दोनों .खुशी से फूलीं न समाईं और एक दूसरे से धीरे-धीरे कहने लगीं—बहन, मेरा कहा-सुना माफ़ करना।

अब मुहल्लेवालों ने इन लड़कों से कहा—भैया, तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी।

वीरसिंह—हाँ हाँ। क्यों न मानेंगे ? लेकिन पहले सुनें भी तो।

"पहले हामी भरो तब हम कहेंगे। हम लोगों ने तुम्हारा कहा माना। अब तुम्हें हमारी बात ज़रूर माननी होगी।"

"अच्छा कहो भी कुछ। हम आप लोगों का हुक्म मानने में कब न कर सकते है।"

"तो आज आप लोग यहीं हमारे यहाँ रहें। इसी जगह पर रामायण होगी और सुन्दर हवन होगा।"

वीरसिंह—यह बड़ी अच्छी बात है। हम आज रात में यहीं रह जायँगे।

"और खाना हमारे यहाँ खाना होगा," सुखिया और सितबिया दोनों ने एक साथ कहा।

वीरसिंह ने हँसते-हँसते कहा—खाने से कब और किसे इनकार हो सकता है। लेकिन आप दोनों अपने झगड़े का निपटारा कर लें कि किसके यहाँ हमें खाना होगा।

"हम दोनों मिलकर बनायेंगी और तुम्हें खिलायेंगी।"

लगान तथा ज़मींदारी

भारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश में लगान का प्रश्न अर्थशास्त्रीय मसलों में अत्यन्त महत्त्व का है। यहाँ प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता तथा विभिन्नता के कारण लगान का ढंग एक-सा नहीं है।

हिन्दू राजाओं के समय में भूमि गाँव की या पचायत की समझी जाती थी। राजा का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। राजा लगान के रूप में उपज का छठा या चौथाई भाग ले लेता था। उपज का चौथाई भाग तभी लिया जाता था जब कि कोई विशेष आवश्यकता आ पड़ी हो। तरींका काफी अच्छा था, क्योंकि खेती के अच्छी या बुरी होने के साथ-साथ राजा का भाग भी बढ़ या घट जाता था। लेकिन आबादी बढ़ जाने से तथा कृषि भी बढ़ जाने से, लगान वसूल करने एव लगान निर्धारित करने में बड़ी कठिनता पड़ने लगी। धीरे धीरे अन्न की जगह रुपया लेने का चलन बढ़ने लगा जो मुसलमान राजाओं के समय काफी प्रचलित हो चला था। अकबर के समय में तो अन्न न लेकर रुपया ही लिया जाता था। लगान एक-चौथाई से बढाकर एक-तिहाई कर दिया गया था और वसूली के लिए गाँव में मुखिया नियुक्त किये जाते थे। लगान नौ साल के लिए किया जाता था।

औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुसलमानी राज्य की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई और छोटे मोटे सरदार राजा की आज्ञा मानने में टाल-मटोल करने लगे। उस समय ख़ज़ाने में रुपया बराबर आता

रहे, इसका ध्यान रखकर एक नया तरीका निकाला गया जिसमें किसी ठेकेदार को वसूली करने की आज्ञा दे दी जाती थी। वह वसूली का ९० प्रतिशत सरकारी खज़ाने में जमा कर देता था। धीरे-धीरे यह प्रथा भी दूर हो गई और लगान वसूल करने का हक उसको दिया जाने लगा जो नीलाम के समय सबसे अधिक बोली बोलता था। इस प्रथा का प्रभाव बगाल, बिहार तथा उड़ीसा में स्थायी रहा और यही ठेकेदार बाद में चलकर ज़मींदार हो गये। सयुक्त प्रान्त तथा पजाब में ये ठेकेदार अधिक उन्नति नहीं कर सके और कतिपय विशेष अधिकारो के अलावा इनका प्रभुत्व अधिक नहीं बढ़ा। ये ठेकेदार पहले पुश्तैनी नहीं होते थे पर बाद में इनको पैत्रिक अधिकार भी मिल गये।

जब ईस्ट इंडिया कम्पनी को राजनीतिक सफलता मिल गई तब उसने भी इन ठेकेदारी के हकों को मान लिया। पर ये ठेकेदार, जो अब ज़मीदार कहलाते थे, प्रजा को काफ़ी तंग करते थे और सरकारी ख़ज़ाने में लगान भी ठीक समय पर जमा नहीं करते थे। सरकार को इससे बड़ी कठिनाई होती थी। इसी कारण सन् १७९३ में, लार्ड कार्नवालिस के कहने पर, बंगाल, बिहार तथा सयुक्त प्रान्त और मद्रास के कुछ भागों में स्थायी तौर पर लगान हमेशा के लिए नियत कर दिया गया लेकिन इस स्थायी प्रथा के दोष शीघ्र ही विदित होने लगे और सरकार ने समस्त भारतवर्ष में स्थायी लगान के विचार को त्याग दिया। इस समय भारतवर्ष मे नीचे लिखी हुई लगान की प्रथा प्रचलित है :—

ज़मींदारी

ज़मींदारी दो प्रकार की होती है, (१) स्थायी, (२) अस्थायी। स्थायी जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार उत्तर-पूर्वी मद्रास तथा युक्त प्रान्त की बनारस कमिश्नरी में प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार एक जमींदार सरकार को लगान देने के लिए जिम्मेदार ठहरा लिया जाता है। यह जमींदार ठीक समय पर निश्चित रुपया, जो हमेशा के लिए एक दफा तय कर दिया गया है, सरकारी खज़ाने में जमा कर देता है। सरकार को रैयत से कोई सरोकार नहीं और जमींदार जो चाहे उनसे वसूल कर सकता है। यदि जमींदार ठीक समय पर रुपया जमा न करे तो सरकार उसकी जमीदारी बिकवाकर रुपया वसूल कर सकती है। स्थायी-लगान-प्रथा के अन्दर भारतवर्ष की लगभग १० प्रतिशत यानी १२ करोड एकड़ भूमि है।

अस्थायी जमींदारी प्रथा अधिकतर युक्त प्रान्त, पंजाब, मध्य प्रांत तथा बंगाल और बम्बई के कुछ भागों मे है। इसके अनुसार भूमि का कर ८-१० या १२ सालों के लिए तय कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः पैमाइश होती है और खेती की पैदावार के अनुसार लगान न्यूनाधिक किया जाता है।

महलवारी प्रथा अस्थायी जमींदारी प्रथा का एक विशेष तरीक़ा है। इसके अनुसार गाँव का एक मालगुजार या पटेल (जो कि मराठों के समय में नियुक्त किया गया था) सरकार को लगान देता है और वही भूमि का मालिक भी समझा जाता है। यह प्रथा अधिकतर

मध्य-प्रान्त में पाई जाती है। अस्थायी ज़मींदारी प्रथा के अन्दर समस्त भारत का लगभग ३० प्रतिशत भाग आ जाता है।

रैयतवारी प्रथा—हमारे देश में लगान वसूल करने की जो प्रथा सबसे अधिक चालू है वह रैयतवारी है। भारत की ५१ प्रतिशत यानी २८$\frac{1}{2}$ करोड़ एकड़ भूमि में यह चालू है। अधिकतर बम्बई, मद्रास, बरार, सिन्ध और आसाम में इस प्रथा का ज़ोर है। इस प्रथा के अनुसार सरकार को कुल भूमि का मालिक समझा जाता है। किसान उसे जोत सकते, बेच सकते या किसी को दे सकते हैं। लगान हर एक किसान से अलग-अलग वसूल किया जाता है और वही उसके लिए जिम्मेदार भी है। लगान पचीस-तीस साल के लिए एक दफ़ा तय कर दिया जाता है, और फिर पैमाइश के बाद घटता-बढ़ता रहता है। इस प्रथा की विशेषता यह है कि लगान हर एक किसान से सीधा वसूल किया जाता है। यहाँ ज़मींदार या किसी बीच के आदमी की कोई आवश्यकता नहीं।

ऊपर के वर्णन से समझ में आ गया होगा कि ज़मींदारी प्रथा में ज़मींदार सरकार को लगान देते हैं। ज़मींदार स्वयं तो सब भूमि जोतते नहीं; किसानों को उठा देते हैं। किसान भूमि दो तरीक़ों पर लेते हैं। एक के द्वारा तो उनको खेत पर काश्तकारी के क़ानूनी हक़ मिल जाते हैं तथा दूसरे से उनको कोई क़ानूनी हक़ नहीं मिलते। ज़मींदार जब चाहे, उनको बेदख़ल कर सकता है। क़ानूनी काश्तकारों की भी कई क़िस्में होती हैं, जो ये हैं :—

पहले मालकाना हक़ रखनेवाले काश्तकार

ये काश्तकार पहले ज़मींदार थे पर अब किसी कारण अपनी ज़मींदारी खो बैठे हैं। इनके पास सिवा 'सीर' की ज़मीन के अब कुछ नहीं रह गया है। इनके हक़ मौरूसी है पर ये किसी को भूमि बेच नहीं सकते।

मौरूसी काश्तकार

ये काश्तकार बेदखल नहीं किये जा सकते और बिना अदालत की आज्ञा के इनका लगान भी नहीं बढाया जा सकता। यदि लगान बढ़ा भी तो वह आना या दो आना रुपये से अधिक नहीं हो सकता। भूमि में कोई सुधार करने पर उस पर कोई लगान नहीं बढाया जा सकता। यदि किसान लगान न भी दे पावें तो उनके बीज, चौपाये तथा अनाज आदि कुर्क नही किये जा सकते। ये अपनी भूमि बेच भी सकते है।

क़ानूनी काश्तकार

ये काश्तकार आगरा आराज़ी एक्ट १९२६ के अनुसार पैदा हुए। जो कोई भी किसान १ साल तक ज़मीन जोत ले वह आ-जीवन बेदख़ल नही किया जा सकता और उस पर बीस साल तक लगान भी नही बढ़ाया जा सकता जब तक कि काफी कारण न हों। उनके मरने पर उनके वारिस को भी पाँच साल तक खेत जोतने का हक़ है कांग्रेस सरकार द्वारा १९३९ के आराज़ी क़ानून के पास हो जाने से इन सब काश्तकारों को भी मौरूसी हक मिल गये है।

संयुक्त प्रान्त का आराज़ी क़ानून (१९३९)

सन् १९३७ में कांग्रेस के सरकार बनाने पर उसने गॉव-वालों की दशा सुधारने के लिए एक आराज़ी कानून पास किया जिससे काश्तकारों को निम्नलिखित फ़ायदे हुए—

(१) इसके पास होते ही हर काश्तकार को भूमि में मौरूसी हक़ मिल गये। जो काश्तकार पहले सिर्फ़ क़ानूनी हक़ ही रखते थे उनको मौरूसी हक़ मिल गये। इसके अलावा यह भी तय हो गया कि जो किसान ज़मीदारों से भूमि लेकर जोतेंगे उनको प्रारम्भ से ही मौरूसी हक़ मिल जायगे। जो किसान सीर की ज़मीन जोतते है उनको भी पाँच साल तक भूमि जोतने का हक मिल जायगा।

(२) पहले ज़मींदार सीर की भूमि अनाप शनाप बढ़ा लेते थे। इसके अनुसार यह तय हो गया कि सीर की भूमि सिर्फ ५० एकड़ होगी। जो जमीदार २५०) से अधिक कर देते ह, उनकी वह भूमि जो आगरा आराज़ी एक्ट १९२६ या अवध-कर-एक्ट १९२१ के पहले सीर नहीं थी, अब सीर नहीं रह सकेगी। इन ज़मीदारों की ऐसी भूमि जो इस एक्ट के पास होने के पहले किसानों को खेती के लिए उठा दी गई थी अब सीर नहीं रह सकती। ऐसे छोटे जमींदार जो २५०) रु० से कम लगान देते है उनकी सीर-भूमि को जोतनेवाले किसानों को मौरूसी हक़ प्राप्त नहीं होंगे पर वे पाँच साल तक भूमि जोत सकते हैं।

(३) कोई भी काश्तकार अपनी ज़मीन में रहने के लिए मकान,

या चौपायों के लिए बेड़ा या अनाज इकट्ठा करने के लिए गोदाम बनवा सकता है। उसको इसके लिए ज़मींदार से आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थायी या मौरूसी काश्तकार कुआ, हौज़ बनवा सकता है तथा भूमि की सतह ठीक कर सकता और पानी के लिए अन्य कोई भी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जिस किसान को मौरूसी हक प्राप्त नहीं है उसे कोई भी तबदीली करने के पहले जमींदार की आज्ञा लेना अनिवार्य होगा। कोई भी किसान, जिसने भूमि में कोई भी सुधार किये है, यदि बाद में बेदखल किया गया तो उसको मुआवज़ा दिया जायगा। कोई भी मौरूसी काश्तकार अपने खेत में पेड़ वग़ैरह उगा सकता है लेकिन इससे भूमि का मूल्य कम न होना चाहिए।

(४) किसी भी दशा में नजराना अबवाब, बेगार हारी बियाई आदि लेना जुर्म करार दिया गया है। यदि कोई भी जमींदार इस बात का उल्लघन करता है, या लगान क़ायदे से अधिक लेता है, या बकाया रुपया पर सवा छः प्रतिशत से अधिक व्याज लेता है तो वह २००) हर्जाना देने को बाध्य होगा साथ ही अधिक लिया हुआ रुपया भी वापिस करना होगा।

किसानों के बेदख़ल करने का क़ानून काफ़ी कड़ा कर दिया गया है। नादिहन्द लोगों को छोड़कर कोई भी बेदखल नहीं किया जायगा। यदि कोई किसान लगान न देने के कारण बेदखल किया गया तो तमाम बकाया रुपया वसूल समझा जायगा। किसी भी किसान को बेदखल करने की दरख्वास्त १ जून से

३१ अगस्त तक देनी चाहिए और किसान को अगले साल की ३१ मई तक का समय दिया जायगा जिसके अन्दर उसको रुपया चुका देने की आज्ञा होगी। यदि वह ऐसा न कर सका तो उसको बेदखल कर दिया जायगा। यदि बेदख़ल होने के ३० दिन तक रुपया दे देगा तो भूमि उसको फिर वापिस हो जायगी।

यह आवश्यक है कि हर वसूली के समय जमींदार को रसीद देनी होगी जो सरकार द्वारा दिये गये, छपी हुई रसीदों के फ़ार्म पर होगी। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उस पर दूना रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है। जो ज़मींदार अक्सर ऐसी ग़लती करेगा उस पर पहली ग़लती पर १००) तक जुर्माना किया जा सकता हैं दूसरी पर ५००) तक जुर्माना या ३ महीने की सज़ा।

लगान निश्चय करने का तरीका भी तय कर दिया गया है। लगान तय करते समय यह देखा जायगा कि वह पैदावार के पाँचवें भाग से अधिक न हो जाय।

यदि किसान चाहे तो लगान सीधे तहसीलदार की अदालत में जमा करा सकता है या मनीआर्डर द्वारा भेज सकता है।

यह निश्चित कर दिया गया है कि अवध में मौरूसी काश्तकारों का लगान कानूनी काश्तकारों से २५ प्रतिशत कम होगा तथा विशेष काश्तकारों और पहले मालकाना हक़ रखनेवाले काश्तकारों का लगान मौरूसी काश्तकारों से भी २५ प्रतिशत कम होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कानून से किसानों की दशा कुछ सुधरी अवश्य है। कम से कम उनसे बेगार लेना तो बन्द हो ही

गया। रसीद देना तथा उचित लगान लेना भी तय सी बात है। परन्तु एक्ट की अन्य धाराओं का ठीक ठीक पालन नहीं हो पा रहा है और किसान भी उससे लाभ नहीं उठा रहे है। क्योंकि उनको इन धाराओं के बारे में अधिक जानकारी नही है। किसानों को कानून की धाराओं को ठीक ठीक समझ कर उनसे लाभ उठाना चाहिए। और यदि ज़मींदार के कारिन्दे कुछ भी गड़बड़ी करें तो सबको मिल कर उनसे मोर्चा लेना चाहिए।

अपनी थोड़े दिन की हुकूमत में कांग्रेसी सरकार किसानो के लाभ के लिए इस आराज़ी क़ानून के अतिरिक्त कुछ भी न कर सकी। पर कांग्रेसवालो का यह निश्चित मत है कि ज़मीदारी प्रथा बहुत ही ख़राब है। इससे देश को कुछ भी लाभ नहीं। ज़मीदार का कार्य किसानों की भलाई करना है, पर वास्तव में वे किसानों के दुश्मन हो गये है। हमारी कांग्रेसी सरकार ने जमींदारी की निकम्मी प्रथा को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर लिया है। उसने इस आशय का कानून भो पास कर दिया है। इसमें बड़े ,बड़े ज़मीदार तथा नवाब अड़गे लगा रहे है। पर कांग्रेस इससे डरेगी नहीं। यदि किसानों ने सहायता की तो शीघ्र ही ज़मींदारी का अत,हो जायगा। फिर तो जमीन किसान स्वय बोवेंगे और रुपया सीधा सरकार को देंगे।

सत्यनारायण

रामदीन साहू की दूकान तो ऐसो ही वैसी चलती है, पर वह अदालत अक्सर जाता है। कचहरी के छक्के-पजे समझने में वह एक ही है। कचहरी में जिनका काम रहता है वे लोग भी ख़ुशामद करके उसको अपने साथ ले जाते है। वह ऐसा कुछ पढा-लिखा नही है, पर वकील-मुख्तारों से उसकी खासी जान-पहचान है, अदालत के मुन्शियों में भी उसकी रसाई है। लोग समझते है कि वह थोड़े खर्च में बहुत सा काम करा देता है। इसी से उसकी खुशामद की जाती है। ताँगे में ले जाते है। वहाँ मिठाई खिलाते है और पान-बीड़ी भी हाज़िर करते है।

रामदीन एक न एक फरीक़ की पैरवी में ज़रूर रहता है। जिस फ़रीक को उसकी कोशिश से नुकसान पहुँचता है वह उससे खार खा जाता है, पर रामदीन ऐसे लोगों की परवा करे तो कचहरी जाना ही छोड़ दे। पुलिस से भी उसका कम हेल-मेल नहीं है।

इतना चतुर होने पर भी इस बार रामदीन एक गवाही के मामले में चक्कर में आ गया। दूसरे फ़रीक के वकील ने उससे ऐसी बातें कहलवा लीं जिससे अदालत ने उस पर दरोग़हलफी का मामला चलाने का हुक्म दे दिया। मुकदमे में बड़ी दौड़-धूप करनी पड़ी। ख़र्च भी इतना हुआ कि वह क़र्ज़दार हो गया। लेकिन ख़ैरियत यह हुई कि वह बेदाग़ बच गया।

मुकद्मा चलते समय रामदीन की घरवाली ने घबराहट में यह मानता मानी कि मुकद्मा जीत जाने पर सत्यनारायण की कथा कराऊँगी और ब्रह्मभोज भी।

पण्डित देवीदास कथा सुनाने के लिए बुलाये गये। जान-पहचानवालों और पड़ोसियों को कथा सुनने को बुलाया गया। घर-द्वार लिपा-पुता साफ़ था। जाजिम बिछी हुई थी। वन्दनवार बँधा था। लोगों के लिए पान-तम्बाकू का भी प्रबन्ध था। समय पर पंडितजी आये। चौक पूरा गया। सिंहासन के चारों ओर केले के खम्भे खड़े किये गये। अच्छी तरह सत्यनारायण की पूजा की गई। धूप, दीप और नैवेद्य के बाद आरती हुई। घण्टा-घड़ियाल बजे। फिर पंडितजी कम्बल पर बैठकर बहुत अच्छे स्वर में कथा सुनाने लगे। वे संस्कृत श्लोक का तो एक-आध टुकडा पढ़ते थे, बाकी अर्थ ही सुनाते जाते थे।

पंडितजी ने बतलाया कि काशी मे एक ग़रीब ब्राह्मण रहता था। वह भीख माँगकर अपना निर्वाह करता था। एक दिन उसे भूख-प्यास से व्याकुल देख भगवान् बुड्ढे ब्राह्मण की सूरत बनाकर उसे रास्ते में मिले और उसकी विपत्ति का कारण पूछने लगे। अन्त में उन्होंने ब्राह्मण को सत्यनारायण की पूजा करने की विधि बतलाकर कहा कि उनका पूजन करने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जायगी। जो कुछ भीख में मिला उसी से ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री मँगाई और बड़ी भक्ति से भगवान् का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। उसको किसी चीज की कमी न रही। वह सुख से रहने लगा।

उस ब्राह्मण का नाम सदानन्द था। वह एक बार अपने भाई-बन्धुओं के साथ सत्यनारायण की पूजा कर रहा था कि एक लकड़हारा उसके घर पानी पीने आया। उसने सदानन्द को पूजा करते देख हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, आप किस देवता की पूजा किस काम के लिए कर रहे हैं। सदानन्द ने बतलाया कि सत्यनारायण भगवान् की पूजा करता हूँ। इन्हीं की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सब कुछ कर सकते है। उन्होंने पूजा की विधि भी बतला दी।

लकड़ियाँ बेचने पर जो कुछ मिला उसी से पूजा का सामान ले जाकर लकड़हारे ने बड़ी श्रद्धा से सत्यनारायण की पूजा की तो उसका भी सकट कट गया। वह भी आराम से रहने लगा।

राजा उल्कामुख बड़ा सदाचारी और सत्यवादी था। वह ख़ूब दान-पुण्य करता और पडितों को सन्तुष्ट रखता था। उसकी रानी, भद्रशीला नदी के तट पर, सत्यनारायण का पूजन कर रही थी कि वहाँ से एक व्यापारी निकला जो बेचने के लिए नाव में मणि-मोती लिये जा रहा था। उत्सव देखकर उसने नाव ठहरा दी। उसने पास जाकर राजा से पूछा कि सरकार, आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं। उचित समझें तो मुझे ब्योरा बतलावें। राजा ने व्रत की विधि बतलाकर कहा कि पुत्र इत्यादि पाने के लिए मैं सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ।

राजा से कुल हाल मालूम होने पर सौदागर ने कहा—महाराज, मेरे कोई सन्तान नहीं है। इनकी पूजा करने से मेरे भी सन्तान

होगी। उसने देवता को प्रणाम करके प्रसाद लिया और अपने घर की ओर नाव चलाई। घर आकर उसने घरवाली को सत्यनारायण के व्रत का कुल हाल बतलाया। उसने कहा कि सन्तान होने पर मैं भगवान् का पूजन और कथा करूँगा।

भगवान् की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती के कुछ दिनों में गर्भ रह गया। समय पर बेटी उत्पन्न हुई। नाम रक्खा गया कलावती। उत्सव समाप्त होने पर लीलावती ने पति से कहा कि अब व्रत कर लेना चाहिए तो सेठ ने कहा कि लड़की को सयानी होने दो, विवाह के समय पर पूजन कर दूँगा। मुझे याद है। समय आने पर सेठ ने काञ्चन नगर के सेठ के यहाँ बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर दिया।

विवाह के अवसर पर भी सत्यनारायण को भुला देने से भगवान् अप्रसन्न हो गये। होनहार की बात, सेठ अब जमाई के साथ व्यापार को रवाना हो गया। ससुर-जमाई दोनों चन्द्रकेतु राजा के राज्य में, रत्नसार नगर में, दूकान लगाकर व्यापार करने लगे। सेठ को बात का कच्चा पाकर भगवान् ने कहा कि जा, तुझे बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा।

एक बार रात को राजा चन्द्रकेतु का माल चुराकर चोर इन सेठों की दूकान के पास पहुँचे थे कि सिपाहियों को पीछा करते देख वे माल को वहीं पटककर नौ-दो ग्यारह हो गये। सिपाहियों ने भले मानस सेठों के यहाँ राजा का माल देखकर इन्हें गिरफ़्तार किया और राजा की आज्ञा से क़ैद कर दिया। चोरी का माल और सेठ का धन सब ख़ज़ाने में जमा हो गया। सत्यनारा-

यण की माया के कारण सेठों की अर्ज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर पर सेठानी बीमार हो गई और चोरों ने सब कुछ लूट लिया। खाने तक को कुछ न बचा। मा-बेटी मारी-मारी भटकने लगीं। एक दिन कलावती भूखी-प्यासी एक परिडत के घर गई। वहाँ सत्यनारायण का पूजन होते देख उसने उपवास रखकर कथा सुनी, प्रार्थना की। फिर प्रसाद पाकर घर आई।

अब मा-बेटी ने अपनी कामना की सफलता के लिए घर पर स्वयं व्रत किया और क्षमा माँगी तो भगवान् ने राजा चन्द्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि सेठो को जेल से छोड़ दो। उनका माल भी लौटा दो। दूसरे दिन ससुर-जमाई छोड़ दिये गये। उनकी इज्ज़त भी की गई और दूना माल दिया गया। अब ये अपने नगर को रवाना हुए तो थोड़ी दूर पर सत्यनारायण ने, साधु के वेष में, आकर इनसे पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या क्या माल लदा हुआ है। सेठ ने उन्हें टरकाने के लिए कह दिया कि अंगड़-खंगड़ भरा है और क्या है। साधु ने कहा, जो तुम कहते हो वही होगा। जाओ।

थोड़ी दूर जाने पर नाव में से सचमुच माल ग़ायब हो गया। इससे सेठ छाती पीटने और हाय हाय करने लगा। जमाई के सुझाने पर वह साधु के पास गया तो उन्होंने उसे फटकारा और उसकी मक्कारी का कुल हाल बतलाया। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान् ने उसका माल फिर प्रकट कर दिया और आप अन्तर्धान हो गये। सेठ वहीं पर भगवान् का पूजन करके अपने नगर में आया और घर पर ख़बर भेजी। मा-बेटी सत्यनारायण की पूजा कर रही थीं। लीलावती

पूजा करके और प्रसाद पाकर पति तथा जामाता का स्वागत करने पहले चली गई किन्तु कलावती बिना ही प्रसाद पाये पहुँची। इससे भगवान् ने उसके पति को गुप्त कर दिया। अब तो वहाँ हाय हाय मच गई। सेठ ने भगवान से विनती की तो पता चला कि प्रसाद का अनादर करने से यह दुर्घटना हुई है। कलावती घर जाकर भक्ति से प्रसाद पावे तो उसे पति मिल जायगा।

अन्त में सेठ गाजे-बाजे से अपने घर पहुँचा।

तुंगध्वज राजा भी प्रसाद की अवज्ञा करने से संकट में पड़ गया था किन्तु भगवान् की प्रार्थना कर प्रसाद को ग्रहण करने से उसकी कामना पूरी हो गई।

सब लोगों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, दक्षिणा चढ़ाई और प्रसाद लिया। अब पूजा से उठने पर रामदीन सबसे इधर-उधर की बातचीत करने लगा। बीड़ी पीते-पीते उसके एक साथी ने कहा कि भाई, इस बार बुरे फँस गये थे। छोड़ो भी इस जजाल को। क्या जाने फिर किसी पेच मे आ जाओ।

रामदीन ने कहा—भैया की बातें। कचहरी को छोड़कर मै नहीं रह सकता। और भला कचहरी में सत्य का क्या सरोकार! वहाँ क्या एक मै ही झूठी गवाही दे आया था! अरे वहाँ तो ज़्यादातर झूठ का ही रोज़गार होता है। हाँ, सँभलकर रहूँगा। यह ज़रूर है।

सुन्दरलाल ने कहा—देखो जी, अभी अभी तुम कथा सुनकर उठे हो। सेठ के सचाई का मार्ग छोड़कर लोभ करने से जैसी मुसीबतें

झेलने की कथा तुमने सुनी है उससे कुछ सबक़ लो। अगर व्रत करके, कथा सुनकर भी तुम मक्कारी नहीं छोड़ना चाहते, सत्य को नहीं अपनाते तो फिर सत्यनारायण की पूजा करने और कथा सुनने से क्या फ़ायदा?

रामदीन ने कहा—भाई, बात तुम्हारी ठीक है। मानता हूँ कि साँच को आँच नहीं आती। सच्चे का आदर होता है, पर मै अपनी रोज़ी कैसे छोड़ दूँ। सत्य का पक्ष लें तो सभी वकील-बैरिस्टर बेकार हो जायँ। इनको एक पैसा भी न मिले। रह गई कथा की बात, सो यह तो घरवाली की करतूत है। उसने मनौती मान रक्खी थी। कथा न कराता तो रात-दिन झगड़ा करती, फिर इसी बहाने तुम चार भाइयों से यहाँ बेखटके भेट हो गई। तुम लोगों का मुँह भी मीठा हो गया। कुछ पण्डितजी को भी मिल गया। यह क्या बुरा है?

श्यामलाल ने कहा—भाई रामदीन, यह तो भगवान् को धोखा देना है। आत्मा के साथ दग़ा है। सत्यनारायण की पूजा करें और सत्य को न मानें तो यह बहुत बुरी बात है। संकट हमें चेतावनी देते है भले बनने के लिए। अगर भले नहीं बनते तो नुकसान हमारा ही है। हमको सत्यनारायण की कथा से सबक लेना चाहिए—पूरा लाभ उठाना चाहिए।

शहद की मक्खियाँ

ईश्वर ने शहद की मक्खियाँ क्यों बनाईं ? फूलों का आपस में ब्याह करने के लिए ताकि उन फूलों से फल पैदा हों। फूल या तो नर होते है या मादा, और मादा फूलों तक पराग-केसर कीड़े ही ले जाते है। इन कीड़ों को लुभाने के लिए फूलों को अच्छे रंग और अच्छी महक दी गई है और शहद भी जिसे ये कीड़े खाते है। शहद तक पहुँचने के लिए मक्खियों और दूसरे कीड़ों को अपने मुँह को फूलों के भीतर पहुँचाना होता है, लेकिन ऐसा करने में पराग-केसर उनकी टाँगों में भर जाता है। फिर जब ये कीड़े मादा फूलो के पास जाते है तो इस पराग-केसर के कुछ हिस्से वहाँ रह जाते हैं और इस तरह इसमें बीज पड़ जाता है।

शहद की मक्खियाँ फूलों से यों शहद निकाल लेती है और इसे अपने छत्तों में ले जाती है। जङ्गली मक्खियाँ तक देहातियों को एक फ़ायदा तो पहुँचा देती है कि उनकी वजह से फूलों में फल पैदा हो जाते है। अगर देहाती इनसे शहद भी हासिल कर सकें तो इनको दोहरा फ़ायदा हो जायगा।

[२]

शहद की मक्खियों का घर और ख़ानदान

(१) वे क्या खाती हैं ?—अगर हमें इन मक्खियों की आदतें मालूम होंगी तो हम इनसे ज्यादा शहद प्राप्त कर सकते है और इन्हें शहद बनाने के काम में मदद भी दे सकते है। यह याद

रक्खो कि शहद इन मक्खियों का खाना है। यदि हम इस शहद को हासिल करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि इन मक्खियों को इतना काफ़ी खाना मिलता रहे कि ये मज़बूत और तन्दुरुस्त रहें और बहुत से बच्चे पैदा करें। एक छत्ते में जितनी ही मक्खियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा शहद उसके मालिक के लिए इकट्ठा होगा। यही बचा हुआ शहद निकाला जा सकता है। आजकल का जो यह तरीक़ा है कि शहद हासिल करने के लिए मक्खियों को उड़ा देते या मार डालते है और उनके छत्तों को तोड़ डालते हैं, यह बिलकुल वैसा ही हुआ जैसे कि दूध देनेवाली गाय या भैंस को मार डाले। ऐसे तमाम जानवरों की खास तौर पर निगरानी की ज़रूरत है जिनसे इन्सान को भोजन मिलता है।

(२) शहद की मक्खियाँ क्योंकर पैदा होती हैं?—इन मक्खियों के बच्चे अडों से निकलते हैं। एक छत्ते में एक ही ख़ानदान रहता है यद्यपि छत्ते में हज़ारों मक्खियाँ होती है, लेकिन इस पूरे ख़ानदान की सिर्फ एक ही मा होती है। उसे रानी कहते हैं। वह न तो शहद इकट्ठा करती है और न दूसरा घरेलू काम करती है। वह बस दिन-रात अडे देने में लगी रहती है। वह हज़ारों अडे दे सकती है और इतने अंडे देने के लिए उसे सिर्फ़ एक मर्तबा शादी करने की ज़रूरत होती है। दूसरी अजीब बात यह है कि यह बिलकुल उसकी ख़ुशी पर है कि नर बच्चे पैदा करे या मादा। आम तौर पर वह मादा बच्चे ही पैदा करती है, इसलिए कि वे छत्ते के भीतर सारे काम करते हैं।

(३) **नई रानी क्योंकर बनती है?**—मामूली काम की मक्खी अंडे नहीं दे सकती। यह सिर्फ़ रानी ही कर सकती है और छत्ते भर में सिर्फ एक होती है। जब छत्ता छोटा पड़ जाता है और इस खानदान को दो हिस्सों में बाँटने की ज़रूरत पड़ती है या जब रानी बुढापे की वजह से ज़्यादा अडे नहीं दे सकती तो वह सिर्फ़ इस तरह के अडे देने लगती है जिनसे नर ही मक्खियाँ निकलती है। इसी के साथ काम करनेवाली मक्खियाँ नई रानी के पलने और बढने के लिए एक अलग कोठरी बनाती है। जब यह कोठरी तैयार हो जाती है तो मक्खियाँ बूढ़ी रानी से इसमें एक अडा दिलवाती है। इस अडे में से बच्चा निकलने पर इस कीड़े को खास तौर से अच्छे-अच्छे खाने खिलाती हैं ताकि वह पूरी औरत बनकर पूरे छत्ते की मा बन सके।

(४) **उसकी शादी**—जब नई रानी भरपूर जवान हो जाती है तो वह अच्छा दिन देखकर छत्ते के बाहर मर्द मक्खियों के साथ सैर करने जाती है और इनमें से एक से ब्याह कर लेती है। इसके बाद नई रानी तो छत्ते में वापस आ जाती है लेकिन मर्द मक्खियाँ निकाल दी जाती है। उनकी अब छत्ते में ज़रूरत नही रह जाती। वे एक-एक करके मर जाती है।

(५) **मक्खियों का गोल**—जब यह इन्तजाम हो चुकता है तो बूढी रानी, आधी या इससे कम, काम करनेवाली मक्खियों के साथ कई दिन का शहद लेकर पुराने छत्ते से इसलिए निकलती है कि कहीं और छत्ता बनाये। इनमें से थोड़ी-सी मक्खियाँ स्काउट का

काम करती है और नया घर ढूँढ़ती हैं और सारा गोल किसी क़रीब के पेड़ पर लटका रहता है। ग़ैर खानदान की और दो छत्तों की मक्खियाँ एक-दूसरे से मिलना-जुलना अच्छा नहीं समझतीं। अगर कोई अजनबी मक्खी किसी छत्ते में घुस जाय तो वह ज़रूर मार डाली जाती है।

(६) **काम करनेवाली मक्खियाँ**—नई मक्खियाँ कुछ दिनों तक तो दाई का काम करती हैं या दूसरे घरेलू कामों में, मसलन् छत्ते के साफ़ करने, कोठरियों की मरम्मत करने में लगी रहती हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद शहद इकट्ठा करने और केसर लाने के लिए निकल पड़ती है। बरसते पानी में ये मक्खियाँ नहीं उड़ सकतीं और न वे छत्ते से उस वक़्त तक प्रायः बाहर निकलती हैं जब तक कि सूर्य अच्छी तरह न चमकता हो। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तब ये मक्खियाँ छत्ते ही में रहती है और एक दूसरे को गरमाने के लिए सब इकट्ठा बैठी रहती हैं। उस वक्त इसकी सख्त ज़रूरत है कि छत्ते की छत के नीचे गरम कपड़े और कम्बल रख दिये जायँ और छत्ते की दीवालों के चारों तरफ़ पुआल रख दिया जाय। बात यह है कि ये मक्खियाँ सर्दी से बहुत आसानी से मर जाती हैं। सर्दी के जमाने में ये मक्खियाँ कोई काम नहीं करतीं। इसलिए यह ज़रूरी है कि उनके पास खाना इतना इकट्ठा हो कि वह उनके लिए उस वक़्त तक काफ़ी हो जब कि फिर गर्मी पड़ने लगे। पहाड़ों पर, जाड़े के लिए, मक्खियों के छत्तों में उनके लिए, काफ़ी शहद छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि वहाँ फूलों में काफ़ी शहद नहीं होता।

मधुमक्खियाँ पालने के बक्स। इनमें पालतू मधुमक्खियाँ आराम से रहती हैं और उनका स्वच्छ शहद आसानी से प्राप्त किया जाता है।

हिन्दुस्तान में जिलीकोट की बुलन्दियों पर, जहाँ कि नया ग्राम-सुधार का मक्खियों का फ़ार्म खोला गया है, बहुत कम दिन ऐसे होंगे जब इतनी सर्दी पड़ेगी कि काम न हो सके। अलबत्ता तराई, भाभर और मैदानों में जाड़ों ही का मौसिम मक्खियों का बढ़िया ज़माना है। वहाँ गर्मियों में वे शहद न जमा कर सकेंगी।

(७) **शहद का मौसिम**—पहाड़ों पर शहद इकट्ठा करने का सबसे अच्छा वक्त अक्टूबर, नवम्बर और फिर मार्च, अप्रैल होगा। अगर पानी बहुत ज़्यादा न बरसे तो बरसात में भी मक्खियाँ अपना काम कर सकती हैं।

(८) **मक्खियों का मिहनती होना और बाहरी मदद करना**—यह पूछा जा सकता है कि शहद की मक्खियाँ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा क्यों इतना शहद इकट्ठा करती है कि मक्खियों का पालनेवाला उसे ले लेता है। एक पुरानी कहावत है कि जितना ही शहद हम निकाल लेते है उतना ही ज़्यादा मिहनत मक्खियाँ करती है। फिर भी समझदार मक्खियाँ पालनेवाला अच्छे मौसिम में अपनी मक्खियों की तुरन्त की ज़रूरत के लिए काफी शहद छोड़ देगा और ख्याल रक्खेगा कि इतना शहद न निकाल ले कि बुरे मौसिम में इनके लिए भोजन न रह जाय। नीचे लिखे हुए काम मक्खियाँ अपने आप करती है, हालाँ कि इनमें से कुछ बड़े मुश्किल जान पड़ते हैं :—

(१) वे छेद या कोठरियाँ बनाती हैं। ये कोठरियाँ मोम से बनती है। यह मोम मक्खियाँ शहद को हज़म करके हासिल करती हैं।

वे अपने मुँह से इस मोम का ढाँचा बनाती है और हर कोठरी एक ही क़द और एक ही तरह की होती है।

(२) वे अपने कीड़ों को पालती हैं।

(३) वे ख़ास खुराक तैयार करती हैं, जिसे शाही खाना कहते हैं और जिसे खाकर कीड़ा रानी बन जाता है।

(४) वे छत्ते को अपने बदन से गरम रखती हैं।

(५) गर्मियों में वे फाटक पर खड़ी होकर अपने परों से पंखा झलती है।

(६) छत्ते की गर्मी से जब शहद काफ़ी गाढ़ा हो चुकता है तो वे उसे इकट्ठा करके बद कर देती है।

(७) वे कूड़ा-करकट और मरी हुई मक्खियों को बाहर फेंक-कर छत्ते को साफ-सुथरा रखती हैं।

(८) इनमें से कुछ रानी की चौकीदारी का काम करती है। वे हर वक्त उसकी हिफ़ाज़त रखती है और जब वह अडे दिया करती है तो उसे शाही भोजन पहुँचाती रहती है।

(९) वे शहद, केसर और पानी इकट्ठा करती हैं और एक तरह का गोंद बनाती है जिससे वे छत्ते की दरार बन्द करती है और कोठरियां को छत्ते में चिपकाती है।

(१०) वे दुश्मनों से छत्ते को बचातीं और उन्हें मार डालती है। ये सब काम वे स्वाभाविक तौर पर करती है। उनके लिए किसी राजा या असेम्बली की ज़रूरत नहीं होती जो उन्हें बतलाये कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक छत्ते की रहनेवाली मक्खियां से

आपस में लड़ाई नहीं होती। हर एक को प्रकृति ने यह बता दिया है कि किसे क्या काम करना है और हर एक यह जानती है कि इस मिहनत के बदले उसको किस तरह का खाना मिलेगा। वह इससे संतुष्ट रहती है। जो मर्द मक्खियाँ काम नहीं करती, ज़िन्दा नहीं रहने पातीं।

(९) **बाहर जाना और वापसी**—ये मक्खियाँ छत्ते से दो मील की दूरी तक शहद की तलाश में निकल जाती है। जब वे किसी अनजान जगह से गुजरती है तो रास्ते को याद रखती है और हमेशा घर पलट आती है। लेकिन अगर छत्ता दो-एक गज भी अपनी जगह से हटा दिया जाय तो वे पुरानी जगह पर पलट आती है और वहाँ उस वक्त तक उड़ती रहती है जब तक मरकर गिर न जायँ। इसलिए अगर छत्ता हटाना है तो हर रोज एक-दो फ़ुट से ज़्यादा न खसकाना चाहिए। यह काम रात ही को होना चाहिए। रात को एक छत्ता एक बार दो मील तक खसकाया जा सकता है। कुछ मक्खियाँ शायद अपने पुराने रास्तों में जाकर खो जायँ, परन्तु इनकी तादाद बहुत ही कम होगी।

[३]

मक्खियों से क्योंकर काम लेना चाहिए

(१) **पुराने तरीक़े**—हर पहाड़ी गाँव में कुछ लोग अपने घरों में, खोखले काठ में या किसी और चीज में, शहद की मक्खियाँ पालते है। थोड़े-थोड़े दिनों बाद घरवाला इन छत्तों को तोड़ता है

और मक्खियों को धुएँ से भगाकर शहद निकालता है। इन छत्तों में शहद की तरह केसर और कीड़े भी होते है। इसलिए जब इनको दबाकर और किसी मैले कपड़े में छानकर शहद निकालते हैं तो यह शहद न तो खालिस होता है और न देखने ही में अच्छा मालूम होता है। इस तरह का गंदा शहद भी अच्छे दामों पर बिकता है। अगर खालिस शहद हो और साफ़-सुथरे अचरियों में रक्खा हो तो और भी ज्यादा महँगा बिके। इस नासमझी के तरीक़े से शहद निकालने के कारण मक्खियों को फिर से छत्ता बनाना पड़ता है और हज़ारों होनेवाली मक्खियाँ मोम की कोठरियों के टूट जाने से दबकर मर जाती है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे दूध हासिल करने के लिए गाय का थन काट डालना। मुमकिन है कि इस बुरे बरताव से चिढकर मक्खियाँ इस जगह से बिलकुल ही भाग जायँ।

कुछ हिन्दुओं को शहद निकालने पर शायद इसी लिए एतराज़ होता है। वे यह समझते है कि शहद निकालने में इन मक्खियों का मारना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ठीक तरीक़े से शहद निकाला जाय तो न मक्खियाँ मरेंगी और न उनके बच्चे। जो थोड़ा सा खर्चा इस नये तरीक़े में होता है वह इस बहुत-से शहद से बहुत अच्छी तरह पूरा हो जाता है, जिसे देहाती इस हालत में हासिल कर सकेंगे और बेच सकेंगे।

(२) छत्ता—ध्यान देने की बात यह है कि हम चंद ख़ाने क्योंकर तोड़कर इस तरह निकाल लें कि पूरे छत्ते को नुक़सान

न पहुँचे और न मक्खियाँ उड़ जायँ। यह नीचे लिखे हुए तरीक़े से हो सकता है—

(अ) छत्ते के भीतर इस तरह का फ्रेम बना दिया जाय कि वह अपनी जगह से हटाया जा सके और इस तरकीब से रक्खा जाय कि मोमवाली कोठरियाँ इसी पर बनाई जायँ।

(ब) रानी को छत्ते के हर हिस्से में पहुँचने न दिया जाय ताकि शहद एक हिस्से में इकट्ठा हो और अण्डे दूसरे हिस्से में दिये जाय। इसके लिए खास पैमाने का एक काठ का छत्ता बना दिया जाय। इस तरह के छत्ते जलीकोट में मौजूद है और ग्राम-सुधार-सभाएँ इस तरह के छत्ते बहुत कम दामों पर दे सकती हैं।

अगर कोई वैसे छत्ते आप ही बनवाना चाहता है तो कोई भी बढ़ई बना देगा। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए कि लकड़ी अच्छे क़िस्म की हो। पुराना शीशम इस काम के लिए मुनासिब होगा।

हर फ्रेम को उठाकर और धीरे से मक्खियों को दूसरे फ्रेमो में गिराकर बहुत आसानी से जाँच सकते है। इन फ्रेमों को एक दूसरे से दूर होना चाहिए।

(३) शहद की मक्खियों के बढ़िया मुक़ाम; उनके छत्ते क्योंकर रक्खे जायँ?—पहाड़ियों में और भाभर में हर जगह मक्खियाँ पाली जा सकती है, अलबत्ता ऊँची पहाड़ियों पर यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। छत्तों का मुँह दक्खिण या दक्खिणी-पूर्वी ओर होना चाहिए। उनके सामने २० से ३० गज़ तक खुली हुई जगह हो ताकि

मक्खियाँ आसानी से उड़ सकें। छत्तों को खेतों के किनारे भी रक्खा जा सकता है, मगर बड़े पेड़ों के क़रीब न रखना चाहिए। मक्खियों के गोल आम तौर पर पेड़ों पर दो-दो दिन लटके रहते हैं और अगर पेड़ बड़े हैं तो उनका पकड़ना मुश्किल ही होगा। फलवाले सेमर (सिवा आम के बड़े पेड़ों के) इस काम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इनके फूलों से मक्खियाँ अपनी ख़ुराक पाती है।

(४) **रानी पर रोक-टोक**—रानी को कुछ कोठरियों से नीचे लिखे तरीक़े से अलग रक्खा जा सकता है। रानी दूसरी मक्खियों से कहीं बड़ी होती है। इसलिए वह इन छोटे छेदों में नहीं घुस सकती, जिनमें मामूली मक्खियाँ घुस सकती हैं। छत्ते को इस-लिए दो हिस्सों में, एक पतली धात की ओट लगाकर अलग कर देते हैं। इसमें ऐसे छेद कर देते है कि मामूली मक्खियाँ तो इनमें से आ-जा सकती हैं लेकिन मोटी रानी इनमें से नहीं निकल सकती। इस ओट को 'रानी रोकनेवाला परदा' कहते है। इस परदे को प्रायः छत्ते की पहली और दूसरी छत के बीच में रख देते हैं ताकि शहद ऊपरवाली छत में इकट्ठा हो। अगर छत्ता बड़ा न हो और मक्खियाँ सिर्फ नीचेवाली छत में रहती हों तो इसी हिस्से को, उस पर्दे को फ्रेम की तरह रखकर, दो टुकड़ों में बाँट देंगे। लेकिन ऐसी हालत में यह इतना बड़ा होना चाहिए कि यह छत्ते के उस हिस्से को पूरा-पूरा ढक ले।

(५) **छत्ते का बढ़िया इन्तज़ाम**—मक्खियों को जरूरत

से ज़्यादा जगह न देनी चाहिए। ज़्यादा जगह में इनको गरम रखना मुश्किल होगा। फिर वे ऐसी जगहों पर भी कोठरियाँ बना सकेंगी जहाँ उनके लिए मुनासिब सहन है। जब मौसिम ख़राब होगा या जब फूल कम होंगे तब मक्खियों की तादाद भी कम ही होगी। ऐसी हालत में एक हिस्सा काफी होगा। जब शहद का मौसम शुरू होता है तब वे बहुत-से बच्चे पैदा करती है। उस वक़्त वे कई हिस्सों में छत्ता बनाएँगी। इसलिए शहद की मक्खियाँ पालनेवाले को चाहिए कि सितम्बर और फरवरी में छत्ते में दो-एक हिस्से और बढ़ा दे। अगर मक्खियाँ काफी है तो ये हिस्से शहद से भर जायँगे।

अगर मक्खियाँ इतनी कम है कि एक हिस्से को भी नहीं भर सकतीं तो भी उसको रानीवाले ओटके से एक तख़्ते के ज़रिये अलग कर देना चाहिए। इस तख़्ते में सूराख़ होने की जरूरत नहीं है।

छत्ते को जाड़े में गरम रखने का खयाल रखना चाहिए। लेकिन मौसिम के गरम होते ही कम्बल वग़ैरह हटा देना चाहिए। दरवाजे इस तरह के होने चाहिए कि इन्हें खसकनेवाली लकड़ी के टुकड़ों के ज़रिये छोटा-बड़ा बनाया जा सके। अगर मक्खियाँ कम हों तो उनके लिए दरवाजा छोटा हो, क्योंकि वे ऐसी हालत में इसमें अपने दुश्मनों को घुसने न देंगी।

(६) किसी छत्ते में जितनी ही ज़्यादा मक्खियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा शहद वे इकट्ठा करेंगी—यह कहीं ज़्यादा

अच्छा है कि मक्खियों का एक बड़ा गोल इकट्ठा हो, बनिस्बत इसके कि कई छोटे-छोटे गोल अलग-अलग रहें। शहद की तलाश में रवाना होने के पहले मक्खियों को बहुत-से घरेलू काम भी करने पड़ते है। इसलिए इतनी काफ़ी तादाद में मक्खियाँ होनी चाहिए कि वे दोनों तरह के काम अच्छी तरह कर सकें। एक छोटे गोल के लिए दुश्मन के हाथों बरबाद हो जाने के अलावा सर्दी खा जाने का भी डर है।

(७) **मक्खियों का गोल**—जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, गोल होने से छत्तों की तादाद बढ़ती है। मक्खियों को गोल बनाकर इसलिए चलना पड़ता है कि इनका पिछला छत्ता छोटा और नाकाफ़ी होता है। इस तरह एक बड़े छत्ते की जगह दो छोटे-छोटे छत्ते ले सकते है। ऐसी हालत में इस साल छत्ते के मालिक को शहद बिलकुल न मिलेगा। इसलिए उसे मक्खियों को दूसरा छत्ता बनाने से रोकना चाहिए और इसी छत्ते में उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। अगर ठीक तरह का छत्ता होगा तो मक्खियों के लिए जगह अपनी खुशी के मुताबिक़ बढ़ाई जा सकती है। मक्खियाँ न तो बहुत बड़े छत्ते में रहना पसंद करती हैं और न बड़े से बड़ा छत्ता बनाया जा सकता है। लेकिन ये मक्खियाँ जानती हैं कि एक रानी कितने बड़े छत्ते के लिए अण्डे दे सकती है और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो आपस में लड़ाई होगी। इसलिए कुछ समय के बाद इन्हें गोल बनाकर उड़ जाने से, जब तक हो सके, रोकना चाहिए। जब वे जाने ही लगें तो

उसे इनको पकड़ लेने के लिए तैयार होना चाहिए वह उनके लिए एक अलग छत्ता दे दे । जलीकोट में जो मास्टर हैं वे इसका तरीक़ा लोगों को सिखाते हैं लेकिन बहुत-से देहाती पहले ही से इसे जानते है ।

(८) मक्खियों की तादाद ठीक वक्त पर क्योंकर बढ़ाई जाय ?—जैसा कि लिखा जा चुका है, पहाड़ों पर शहद निकालने का सबसे अच्छा मौसम आक्टोबर और मार्च है । जब यह मौसम क़रीब आये तो शहद की मक्खियाँ पालनेवाले को इसका ख्याल खास तौर पर रखना चाहिए कि इसके छत्ते में ज़्यादा से ज़्यादा मक्खियाँ हों । मक्खियाँ आप ही यह इन्तजाम कर लेती हैं; लेकिन इनको इस काम में मदद भी दी जा सकती है । सबसे पहला काम मक्खियों के लिए और छेद तैयार करना है । यह दो तरह हो सकता है । एक तो उनको वही पुराने छेद दिये जा सकते हैं जिनमें से शहद निचोड़ लिया गया और जो अब तक टूटे नही हैं । दूसरे इनको काठवाले फ्रेम दिये जा सकते है । ये चीज़ें पहाड़ों पर जौलाई या जनवरी के आख़िर में देनी चाहिए । दूसरा काम मक्खियों के लिए भोजन देना है । शहद के मौसिम के शुरू-शुरू में छत्ते में भोजन की कमी होगी और मक्खियाँ भूखी रहकर बहुत काम नही कर सकतीं । बच्चों का पैदा करना और उन्हें पालना बहुत सख्त काम है फिर बग़ैर खाये हुए कोठरियाँ बनाने का काम भी नहीं हो सकता । इसलिए थोड़ा-सा शहद मोल लेकर उसमें उतना ही पानी मिलाओ, फिर एक चपनी में कम्बल का एक टुकड़ा रक्खो और

शहद की अचारी को उसमें, ढकने में कई छेद करके, उस टुकड़े पर उलट कर रख दो। अब इस चपनी को फ्रेम के ऊपर रख दो। मक्खियाँ इस कपड़े में से शर्बत चूस लेंगी।

यह याद रक्खो कि बहुत-सा खाना मक्खियों को न मिलना चाहिए, नहीं तो वे उसे इन छेदों या कोठरियों में इकट्ठा कर लेंगी, जहाँ रानी अण्डे देनेवाली है। एक कमज़ोर और छोटे छत्ते को मज़बूत और बड़ा बनाने का दूसरा तरीका यह है कि किसी बड़े छत्ते से मुहर लगे हुए ऐसे छेद लेकर वहाँ रख दो जिनमें मक्खियों के कीड़े बन्द हों। यह भी किया जा सकता है कि खाली छेदों या कोठरियों में खाना डाल दिया जाय।

(९) गोल बनाकर उड़ जाने से रोकने का तरीक़ा—ठीक उसी समय जब शहदवाला अपने छत्तों को बड़ा बनाना चाहता है, मक्खियाँ उड जाने का बन्दोबन्त करने लगती है। इसलिए कि इसी समय में छत्ते भर जाते है और नये छत्तों के लिए ख़ुराक का प्रबन्ध करना आसान होता है। इसी लिए शहदवाले को चाहिए कि वह हर दूसरे या तीसरे दिन यह देखता रहे कि छत्ते में काफ़ी जगह मौजूद है। इसके अलावा वह उन छेदों को तोड दिया करे, जिनमें नई रानी का कीडा पलनेवाला हो। इस तरह नई रानी ही न बनने दे। लेकिन अगर नई रानी की सचमुच ज़रूरत है तो ऐसा हरगिज़ न करना चाहिए।

(१०) रानी के बारे में इन्तज़ाम—यूरोप और अमरीका की शहद की रानियाँ तीन वर्ष तक अच्छी तरह अण्डे देती हैं। यह

ज़रूरी है कि हर छत्ते में एक ऐसी रानी हो जो अच्छी तरह अण्डे दे सकती हो। एक हिन्दुस्तानी शहद की रानी दो वर्ष तक अच्छी तरह अण्डे देती है। उसके बाद वह कमज़ोर हो जाती है। मक्खियाँ हर साल पुराने छत्ते को तोड़कर नये छत्ते बनाने चली जाती हैं, इसलिए हर साल एक नई रानी जरूर पैदा होती है। इसलिए अगर उन्हें उड जाने से रोका जा सके और नई रानी हासिल करने का कोई दूसरा तरीका काम में न लाया जाय तो भी हर दूसरे साल अपने आप एक नया छत्ता बन जायगा और एक नई रानी मिल जाया करेगी। लेकिन अगर हर साल पुरानी रानी के स्थान पर नई रानी सितम्बर या फ़रवरी में रख दी जाय तो छत्ते में बराबर काफी मक्खियाँ रहेगी। अगर पुरानी रानी बिलकुल हटा दी जायगी तो मक्खियाँ नया छत्ता भी ढूँढ़ने न जायँगी। नीचे लिखे तरीके से ऐसा किया जा सकता है:—

ऊपर बतलाये हुए पर्दों के ज़रिये पुरानी रानी को छत्ते के एक छोटे हिस्से में बन्द कर दो लेकिन यह ऐसे समय में किया जाय जब दूसरी कोठरियों में अण्डे हों। दूसरी मक्खियाँ जब यह देखेंगी कि उनकी रानी ग़ायब हो गई है तो अण्डेवाली कोठरियों में से एक को बड़ा बनावेंगी और जब इसमें से कीडा निकलेगा तो उसे शाही खुराक खिलाकर नई रानी बना देंगी। उसी वक्त वे मद मक्खियाँ भी पैदा करेंगी। इनमें से एक के साथ नई रानी की शादी हो जावगी। बस, जब नई रानी अण्डे देने लगे तो पुरानी रानी को निकाल लो और पर्दे को भी हटा दो। एक और आसान तरीका यह है, कि

मक्खियों को नये छत्ते की तलाश में गोल बनाकर उड़ने दो। जब वे यों उड़ें तो उन्हें पकड़ लो और पुरानी रानी को उनसे अलग करके सारी मक्खियों को पुराने छत्ते में रख दो, जहाँ अब नई रानी अण्डे दे रही होगी।

(११) छत्तों का एक करना—जैसा पहले कहा गया है, दो भिन्न छत्तों की मक्खियाँ एक साथ नहीं रह सकतीं। वे एक दूसरे को महक से पहचान लेती हैं और हर छत्ते की महक अलग-अलग होती है। अगर दो छत्तों को मिलाना है तो किसी तरह उनकी महक को उस वक़्त तक मक्खियों से छिपाओ जब तक यह महक बिलकुल ग़ायब न हो जाय। जब यह खास महक गायब हो जाय तो दोनों छत्तों को मिला दो। अकसर छत्ते छोटे और कमजोर होते हैं। अगर उनको यों ही छोड़ दिया जाय तो वे दिन-बदिन और कमज़ोर और छोटे ही होते जायँगे। उनको बड़ा और मज़बूत बनाने के लिए बड़ी देख-भाल की ज़रूरत है। इसी लिए उड़ जानेवाले गोल को पकड़ने और छोटे-छोटे छत्ते मिलाकर एक करने की ज़रूरत है। यह नीचे लिखे हुए तरीक़ों से किया जा सकता है :—

(अ) अगर एक ही दिन में कई गोल पकड़े जायँ तो उन्हें एक ही छत्ते में रख दो। मक्खियाँ अपने आप एक जगह रहने लगेंगी और सबसे अच्छी रानी के सिवा सब रानियों को मार डालेंगी।

(ब) अगर एक गोल एक छत्ते में रखा जा चुका है और दूसरा गोल रखना है अथवा किसी गोल को उसके पुराने छत्ते में फिर लाकर

रखना है तो काग़ज़ जलाकर इसका धुआँ इन दोनों गोलों में डालो, फिर दोनों को एक ही छत्ते में बन्द कर दो।

(स) दो छत्तों की मक्खियों को मिलाने के लिए दोनों छत्तों को दो-दो, तीन-तीन .फुट खसका कर एक दूसरे के क़रीब लाओ। फिर एक दिन दोनों छत्तों को खोलकर .खूब धुआँ दो। अब इन दोनों छत्तों की मक्खियों, कोठरियों और कीड़ों पर शहद और पानी में ज़रा-सा पिपरमेण्ट या लौंग मिलाकर छिड़को। फिर कमज़ोर छत्ते के फ्रेम निकालकर बड़े छत्ते के फ्रेमों से मिलाकर रख दो। ख़ाली छत्ते को हटा दो और बडे छत्ते को पिछले दोनों छत्तों के ठीक बीच में रक्खो। बस, उडनेवाली सारी मक्खियाँ इसी छत्ते में घुस आयेंगी और जो रानी कमज़ोर होगी उसे मार डालेंगी।

[४]

छेदों या कोठरियों के बनाने में बहुत शहद ख़र्च होता है और मक्खियाँ इस काम में उस वक़्त लगी रहती है जब उसमें शहदवाले के लिए शहद इकट्ठा करना चाहिए।

(१) नक़ली कोठरियाँ—जब छत्ते पुराने और मैले हो जायें या जब जगली मक्खियों के छत्ते निकाले जायँ तो मोम को अच्छी तरह खौलाकर साफ़ करना चाहिए।

(२) कोठरियों को बिना तोड़े हुए शहद निकालना—इस काम के लिए एक ख़ास मशीन होती है। इस मशीन के ज़रिये शहद की कोठरियाँ बहुत ही जल्द और आसानी से ख़ाली की

जा सकती हैं और बहुत साफ़ शहद निकलता है। इन खाली शहद की कोठरियों को फिर किसी छत्ते में रख सकते है ताकि वे फिर शहद से भर दिये जायँ। एक छत्ते को दूसरी जगह ले जा रहे हों तो उसे एक ऐसे संदूक़ में रखना चाहिए जो छत्ते के बराबर हो। इस संदूक़ का ढकना बन्द रखना चाहिए ताकि दूसरी मक्खियाँ या कीड़े-मकोड़े छत्ते में न घुस सकें। अगर ढक्कन न हो तो सन्दूक को कपड़े से ढक देना चाहिए।

(३) शहद का पकाना—जिस वक़्त शहद निकाला जाता है उस वक़्त वह बहुत पतला होता है। उसे ६ या ७ दिन तक गर्म जगह पर और १५ दिन तक किसी ठण्डी जगह पर रखना चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि मिट्टी के तेल के टीन के ऐसे पीपे बनवा लिये जायँ जिनमें ऊपर ढक्कन हो और नीचे टोंटी लगी हो। जब शहद तैयार हो जाय तो उसमें हाथ लगाये बग़ैर उसे उस टोंटी के ज़रिये अचारियों में भर सकते है। जाड़ों में शहद गाढा और सख्त हो जाता है। इसे अगर पतला या ढीला करना हो तो धूप में रख दो या इसको बर्तन-समेत गरम पानी में रख दो लेकिन इसे कभी आग पर न रक्खो।

(४) सफ़र करना—मक्खियों का वक़्त बचाने का एक और ज़रिया यह है कि उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाया जाय जहाँ फूल हों। मसलन जाड़ों में पहाड़ी अपनी मक्खियों को भावर ले जा सकता है। जब गर्मी आ जाय और वहाँ के फूल सूख जायँ तो इन्हें फिर वापिस लाया जा सकता है। पहाड़ों पर शहद का सबसे अच्छा मौसिम

कार्तिक और माघ है और भाबर में फागुन और चैत। सफ़र करने के लिए छत्तों को खास तरह के सन्दूकों में दिन डूबने के बाद रखना चाहिए। ये बक्स उतने ही बडे होते हैं जितने कि छत्ते। इनमें ऊपर और नीचे तार की जालियाँ लगी होती हैं। अगल-बगल भी जहाँ छेद होते है इसी तरह की पतली जालियाँ लगी होती है, ताकि इनके ज़रिये अच्छी तरह हवा और रोशनी भीतर जा सके। इन बक्सों पर इस तरह कपड़ा लपेटना चाहिए कि इनमें धूप और पानी न जा सके, मगर हवा ज़रूर पहुँच सके। सफर में ३ दिन और ३ रात से ज़्यादा न लगना चाहिए और मालिक को खयाल रखना चाहिए कि छत्ते में इतने दिनों का खाना जरूर रहे। ठिकाने पर पहुँचने के बाद मक्खियों को छत्ते में दिन ही में रख सकते है।

(५) बग़ैर मशीन के शहद निकालना—कच्चा शहद निकालना हरएक को आता है। लेकिन थोड़े ध्यान से अच्छा और साफ़ शहद मिल सकता है। एक फैले हुए मुँह की अचारी लो और उसके मुँह पर साफ़ तजेब का एक टुकड़ा फैला दो। फिर छत्ते के टुकड़े-टुकडे करके उसे उस कपड़े पर रख दो। इन टुकड़ों के ऊपर फिर एक महीन कपड़ा डाल दो। ताकि छत्ते में कीड़े-मकोड़े न घुस सकें। अब इस अचारी को धूप में रख दो। शहद आप ही आप अचारी में पिघल कर पहुँच जायगा। इसे कभी आग न दिखाओ नहीं तो मोम भी पिघल जायगा और शहद में मिलकर इसे ख़राब कर देगा। इन टुकड़ों को दबाना भी न चाहिए, नहीं तो केसर, मैला मोम और मरे हुए कीडे भी छनकर शहद में मिल जायँगे।

[५]

मक्खियों के दुश्मन

शहद चुराने और उड़ा ले जाने के लिए छत्ते में बहुत से कीड़े घुसने की कोशिश करते है। कुछ चिड़ियाँ और कुछ भिड़ें ऐसी हैं जो इन मक्खियों को खाती हैं। गिरगिट, मकड़ी, मेढक, चूहे और चीटियाँ भी इन मक्खियों पर हमला करके उन्हें मार डालती हैं। चीटियाँ अक्सर छत्तों में घुस जाती हैं। मक्खी के अंडे और कीड़े खा डालती है। इसलिए छत्तों को उन कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिए उनके नीचेवाले हिस्सों को पानी से भरी हुई चपनियों में रखना चाहिए।

मोमी कीड़ा—शहद की मक्खियों का सबसे बड़ा दुश्मन मोमी कीड़ा होता है, जो छत्ते में घुस जाता है और कोठरियों में अंडे दे देता है। जब इनमें से कीड़े पैदा होते हैं तो वे कोठरियों को तोड़-तोड़कर खाना शुरू कर देते है और जो कुछ इन्हें मिलता है, खा डालते है। जब ये कीड़े छत्ते में पैदा हो जाते हैं तो मक्खियाँ इसे छोड़कर भाग जाती है। शहद की मक्खियाँ पालनेवाले को चाहिए कि वह ऐसी हालत में छत्तों को बहुत अच्छी तरह देखे और जहाँ कहीं ये कीड़े हों, इनको निकाल डाले। इन कीड़ों के अंडों को भी बरबाद कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों से जब तक छत्ता बिलकुल साफ न कर दिया जायगा, मक्खियाँ इसे फिर इस्तेमाल न करेंगी।

भिड़ों से छत्तों को बचाने के लिए दरवाज़े लगाना चाहिए। इन दरवाज़ों में $\frac{3}{8}$ इञ्च लम्बा और $\frac{3}{8}$ ही इञ्च चौड़ा छेद हो। इनमें से मक्खियाँ तो गुज़र सकें लेकिन भिड़ें नहीं।

मगर मोमी कीड़े इन दरवाज़ों से नहीं रुकते। इसके लिए शहदवाले को बराबर देख-भाल करते रहना चाहिए। जहाँ कोई कोठरी ख़ाली हुई और इन कीड़ों ने इस पर क़ब्ज़ा किया। इसलिए ज़रूरी है कि छत्ते में खाली कोठरियाँ न रहने दी जायँ। जब वे कहीं अलग रक्खी जायँ तो उन्हें बन्द रखना चाहिए, ताकि ये कीड़े उन तक न पहुँच सकें।

असमय वर्षा

इस बार हुई असमय वर्षा बिजली चमकी, तूफ़ान उठा,
श्रमजीवी दीन किसानों की आशाओं का संसार लुटा ।

जिन खेतों को जोता-बोया हमने लू-लपटों से लड़कर,
जिस मिट्टी को सींचा हमने दिन-रात पसीने से कर तर;

जो खेत हमारे जीवन की उम्मीदों के आधार बने
जिनके कोमल तृण पातों पर देखे हमने सुख-स्वप्न घने,

जिन खेतों की हरियाली पर, निर्भर था मैकू का विवाह,
रधिया की मँगनी का उत्सव, रहमत की नातिन का निकाह;

नन्हें ने सोचा था अब की रंगीन अधिक होगी होली,
रंग-रलियाँ खूब मनायेगी बस्ती के रसियों की टोली;

सोनी ने सोचा था टूटे जूते को अब न गँठायेगा,
सोना के लिए शहर जाकर रस-भरी चुनरिया लायेगा;

पुनिया बिचारती थी झुमके झूमर बज़ार से लायेगी.
मुलिया बिचारती थी रेशम की अँगिया नई सिलायेगी:

बच्चों की नज़रों में मेले के तीर-कमान खिलौने थे
बन्धो काका ने सोच रखे जाड़ों के लिए बिछौने थे;

पंडित ने आस लगाई थी अबकी घर-घर उत्सव होंगे,
जिजमान मगन मन हो-होकर मनमाना दान हमें देंगे;

हम सोच रहे थे एक बरस दुख पास न आने पायेगा,
बस्ती की सँकरी गलियों मे रस का सागर लहरायेगा;

मदमाती ग्रामवधू बाला मिलकर पनघट पर आयेंगी,
मनचले जवानों के दिल पर नयनों के बान चलायेंगी;

जिन खेतों से यह आशा थी आँगन सोने से देंगे भर,
वे अन्न के ढेर लगा देंगे दाने जिनके बिरवों से झर,

उन खेतों को खा गई नज़र कुछ ज्ञात नहीं किस डायन की,
मन में घुटकर रह गई साध ग्रामीण किसानों के मन की।

असमय वर्षा की आँधी आ उम्मीदों का दिल तोड़ गई,
नवजात उमगों की कोमल गर्दन, निर्दयी, मरोड़ गई।

वर्षा में जलकर राख हुई दिल की जागीरों की बस्ती,
मन के वन में लग गई आग मिट गई हज़ारों की हस्ती।

परवशता के तट से टकरा इच्छा की लहरें टूट गईं,
निस्सीम निराशा के सर में साहस की सीमा छूट गई।

इस वर्ष किसानों के मुख पर मुस्कान नहीं खिल पायेगी
मैकू को अपने जीवन की सहचरी नहीं मिल पायेगी।

देश का प्रबन्ध

समुचित प्रबन्ध करने की सुविधा के लिए भारतवर्ष को ११ प्रान्तों में और प्रान्तों को कई ज़िलों में बाँट दिया गया है। ज़िला ही शासन-प्रबन्ध का केन्द्र है।

ज़िले के प्रबन्ध के लिए अलग अलग अफ़सर नियुक्त किये जाते हैं जो अपने ज़िले के प्रबन्ध के लिए ज़िम्मेवार होते है। हमारे देश में २७० ज़िले हैं।

कलक्टर—ज़िले का सबसे बड़ा अफ़सर कलक्टर होता है। कलक्टर की हैसियत से वह मालगुज़ारी वसूल करनेवाले विभाग का प्रधान होता है। मालगुज़ारी वसूल करने के जितने मामले होते है उन सब की वह देख-रेख करता है। उसके विशेष कार्य रजिस्ट्री, खेतों की अदला-बदली, खेतों के मुक़दमों की सुनवाई, किसानों का क़र्ज़ा तथा अकाल के समय किसानों को सहायता देना आदि होते है।

मजिस्ट्रेट—कलक्टर ज़िला-मजिस्ट्रेट भी होते हैं। इस तरह उन पर दो कामों का भार रहता है। ज़िला-मजिस्ट्रेट की हैसियत से वे फ़ौजदारी अदालतों की देख-रेख करते तथा फ़ौजदारी मुक़दमों का फ़ैसला करते हैं। उनका काम ज़िलों में अमन-चैन रखना भी होता है।

ज़िला-सुपरिंटेंडेंट-पुलिस उसका पुलिस-विभाग का मातहत होता है और उसके कहने पर काम करता है। ज़िला-मजिस्ट्रेट को पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के हक़ प्राप्त होते हैं।

अन्य ज़िला-अफ़सर—इन अफ़सरों के अलावा अन्य ज़िला-अफ़सर जैसे ज़िला और सेशन जज, सिविलसर्जन, ज़िला इंजीनियर आदि। ये सब अपने-अपने महकमों के प्रधान होते है। फिर भी ज़िले का कलक्टर इन लोगों की सभी बातों की जानकारी रखता है और देखभाल करता है। वास्तव में कलक्टर को मजिस्ट्रेट की हैसियत से पुलिस, जेल, शिक्षा, म्यूनिसपैल्टी, सड़क, सफाई, सहकारिता, शफाख़ाने आदि सभी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। उसे ज़िले की राजनैतिक हलचलों के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ती है।

छोटे ज़िला-अफ़सर—प्रबन्ध की सहूलियत के हिसाब से ज़िला तीन या चार हिस्सो में बाँट दिया जाता है और हर हिस्से का एक अफसर होता है जो 'डिप्टी' कहलाता है। वह अफ़सर अपने हिस्से के प्रबन्ध तथा कानूनी कामों के लिए ज़िम्मेवार होता है। उसको भी पहले दर्ज़े के मजिस्ट्रेट के हक मिले हुए होते है। उसके कार्य लगभग वही हैं जो कि ज़िला मजिस्ट्रेट और कलक्टर के ज़िले भर के लिए है।

तहसीलदार—ज़िले का हर छोटा भाग कई तहसीलों में बँटा रहता है। तहसील का अफसर तहसीलदार होता है जो तहसील का काम देखता है। तहसीलदार के मुख्य दो काम

होते हैं—(१) तहसील की मालगुज़ारी वसूल करना और (२) फ़ौजदारी के मामले सुनना।

तहसीलदार को मालगुज़ारी वसूल करने में सहायता करने के लिए **नायब-तसीलदार** तथा **क़ानूनगो** होते है। क़ानूनगो का काम पटवारियों के काम का निरीक्षण करना है। हर एक परगने का एक क़ानूनगो होता है। नायब तहसीलदार क़ानूनगो के काम की देख-भाल करता है और माल के मुक़दमे फ़ैसल करता है।

तहसीलदार फ़ौजी मुकदमे भी करता है। उसे दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के हक़ प्राप्त है यानी वह एक महीने से छः महीने तक की सज़ा दे सकता है और ५०) रुपया से १००) तक जुर्माना कर सकता है।

चौकीदार—एक तहसील में अनेक गाँव होते हैं। हर गाँव की देख-रेख तथा चौकसी के लिए एक चौकीदार होता है। वह मारपीट, ख़ून-खच्चर, चोरी-डकैती आदि जुर्मों की ख़बर पुलिस में देता है और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता भी करता है। उसे जन्म-मरण की खबर भी देनी पड़ती है।

पटवारी—गाँव का दूसरा अफ़सर पटवारी होता है। यह गाँव के खेत-सम्बन्धी काग़जात को रखता तथा बनाता है। गाँववालों के लिए यह व्यक्ति अत्यन्त महत्त्व का है। जब किसी खेत पर किसी दूसरे किसान का अधिकार होता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि पटवारी के खाते में भी वह दर्ज हो। खेतों के झगड़ों में

पटवारी का खाता अदालत में तलब किया जाता है और उसमें जो कुछ लिखा रहता है वही ठीक माना जाता है।

पटेल—रैयतवाड़ी ज़मीदारी गाँव में प्रधान अफ़सर पटेल कहलाता है। ओहदा खानदानी होता है। इनका काम गाँव में शान्ति रखना तथा मालगुज़ारी वसूल करना है। यह छोटे-मोटे मुक़दमे भी कर लेता है। इसे इस काम के लिए कुछ खेत दे दिये जाते है जिसे 'वतन' कहते है।

नम्बरदार—ये उस जगह पाये जाते है जहाँ जमीदारी-प्रथा है। ये मालगुजारी वसूल करते है तथा गाँव में शान्ति रखने का काम भी करते है।

कमिश्नर—कमिश्नर के नीचे असिस्टेंट तथा डिप्टी कमिश्नर होते है। ये एक कमिश्नरी के मालिक होते हैं। एक प्रान्त कई कमिश्नरियों मे बाँट दिया जाता है और एक कमिश्नरी में कई ज़िले होते है। इस तरह कमिश्नर कई ज़िलों का काम एक साथ देखते है। मद्रास को छोड़ सभी जगह है।

कमिश्नरों का काम मालगुज़ारी के सभी कामों की देख-रेख करना है। इनको कमिश्नरी या ज़िले के प्रबन्ध से खास मतलब नहीं। परन्तु इनको मालगुज़ारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। ये मालगुज़ारी के मामलों की अपील सुनते है और अपने अधीन कलक्टरों के कामों की भी देख-रेख करते है।

बोर्ड आफ़ रेवेन्यू—मालगुज़ारी के मामलों में सबसे बड़ा अधिकार बोर्ड आफ़-रेवेन्यू को प्राप्त है। यह बोर्ड कोर्ट आफ़ वार्ड

के कामों की देख-रेख करता है तथा जो स्टेट इसके अधीन आ जाती हैं उनका प्रबन्ध भी करता है। मालगुज़ारी के मामलों में यह अपील की आख़िरी है जैसे अन्य अदालत मामलों में प्रिवी कौंसिल।

अदालत और मुक़दमे—मुकदमे तीन तरह के होते है। १. मालगुज़ारी, २. फ़ौजदारी, तथा ३. दीवानी।

मालगुज़ारी—मालगुज़ारी के मामले में सबसे बड़ा कोर्ट बोर्ड आफ़ रेवेन्यू है उसके नीचे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आदि होते हैं।

फ़ौजी कोर्ट—फ़ौजी तथा दीवानी के मामलों में सबसे बड़ी अदालत प्रिवी कौंसिल है जो विलायत में है। यहाँ बहुत बड़े बड़े मामले ही जाते हैं, जब कि अपील की इजाज़त हाईकोर्ट दे दे। उसके नीचे फ़ेडरल कोर्ट है। फ़ेडरल कोर्ट की नींव १९३५ के भारतीय क़ानून के अन्दर पड़ी। १९३५ के भारतीय एक्ट के बारे में कोई भी मुक़दमा चले तो उसके बारे में फ़ैसला देना इसका मुख्य काम है, पर वायसराय के कहने पर यह अन्य कार्य भी देख सकता है, और यदि हाईकोर्ट कहे तो फ़ौजी तथा दीवामी मामलों पर भी फ़ैसला देता है। फ़ेडरल कोर्ट के नीचे हाईकोर्ट होते हैं। ये फ़ौजी तथा दीवानी मामलों की अपील सुनते हैं।

फ़ौजी तथा दीवानी कचहरियाँ अलग अलग हो गई हैं। फ़ौजी मामलों में हाईकोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट होता है जिसमें सेशन जज बैठते हैं। अधिकतर सेशन जज, ज़िला-जज ही होते है जो फ़ौजी

मामलों के मुकदमे सुनने को सेशन कोर्ट में बैठ जाते हैं। उनके नीचे डिप्टी तथा असिस्टेंट सेशन जज भी होते है। सेशन कोर्ट सिर्फ वही मुकदमे देखते है, जिनको मजिस्ट्रेट की अदालत देख चुकी होती है।

सेशन कोर्ट के नीचे मजिस्ट्रेट की अदालत होती है। मजिस्ट्रेट तीन तरह के होते हैं। १. पहले दर्जे के, जो १०००) रुपये तक जुर्माना तथा दो साल तक की सजा दे सकते है। २. दूसरे दर्जे के, जो २००) तक जुर्माना तथा ६ महीने की सज़ा कर सकते है। ३. तीसरे दर्जे के, जो ५०) जुर्माना तथा १ महीने की सज़ा कर सकते है।

इनके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट भी बड़े बडे शहरों में फ़ौजी मामले सुनते है। आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा 'जस्टिस आफ दि पीस' भी यह काम करते है।

दीवानी अदालत—हाईकोर्ट के नीचे जिला अदालतें तो होती है जिनमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठते है। डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज का भी काम करते हैं। इसलिए इन्हें डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज भी कहते है। ज़िला अदालतें सिविल मामलों की सभी अपीलें जो छोटे जजों के यहाँ से आती है, सुनती है। उनके नीचे मुन्सिफ़ होते है। मुन्सिफों के नीचे आनरेरी मजिस्ट्रेट भी होते हैं।

ग्राम-पंचायत—पंचायत गावों की सबसे पुरानी सस्था है। पुराने ज़माने में गाँव का शासन पंचायत-द्वारा हुआ करता था। गाँववाले आपस में से वृद्ध तथा विद्वान् लोगों को पंच नियुक्त कर लेते थे। इनमें से एक सरपच होता था। पंच गाँव का हर एक काम

करते थे। गाँव की सफ़ाई, रक्षा, पुलिस, मुकदमा, शिक्षा, तालाबों तथा कुओं की देखभाल आदि सभी काम इनके हाथ में होते थे। केन्द्रीय सरकार में इन पंचायतों का प्रतिनिधित्व होता था। अँगरेज़ी सरकार के आगमन पर इनका ह्रास होने लगा और सरकारी अदालतों के खुल जाने पर तो पंचायतों का न्याय का कार्य समाप्त ही हो गया।

परन्तु सन् १९०८ से इनका कार्य धीरे धीरे पुनः बढ़ाया जाने लगा। १९१९ तथा १९३५ के एक्ट से पञ्चायतें प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत आ गई तथा पजाब, बंगाल, बिहार, बम्बई, युक्तप्रान्त आदि की सरकारों ने विशेष एक्टों द्वारा पंचायतों में पुनर्जीवन डालने का प्रयत्न किया है।

पंचायतों का दायरा एक गाँव या कई गाँवों तक सीमित रहता है। पंचायतों को ज़िला बोर्ड द्वारा अधिकार प्राप्त होते है और वे उसके अन्तर्गत ही कार्य करती हैं। यही कारण है कि पंचायतें सफ़ाई के मन्त्री के विभाग के अन्तर्गत हैं। पंचायतों का काम छोटे-छोटे मुक़दमों का .फ़ैसला करना, गाँव की सफ़ाई रखना, पुलों की देख-भाल रखना, स्कूल चलाना तथा दवाखाने चलाना आदि है।

हमारे प्रान्त में भी पचायत स्थापित करने के विशेष नियम हैं। यदि किसी गाँव में पचायत स्थापित करनी हो तो कलक्टर को अर्जी देनी होती है। यदि कलक्टर समझता है कि वहाँ पंच बनने योग्य मनुष्य उचित संख्या में मिल जायँगे तब वह पंचायत

बनाने की आज्ञा दे देता है। पंच पाँच से लेकर सात तक होते हैं। उनके ऊपर एक सरपंच होता है।

जब तक तीन पंच मौजूद न हों तब तक पचायत काम नहीं कर सकती। कलक्टर पंचायत बैठने का दिन, स्थान तथा समय तय कर देता है। पंचायत छोटे-मोटे दीवानी तथा फ़ौजदारी के मुक़दमे का फ़ैसला कर सकती है। जैसे यदि किसी का बैल किसी के खेत में चला जाय तो पंचायत १०) जुर्माना कर सकती है। १०) से अधिक जुर्माना करने का अधिकार पचायत को नहीं होता। यदि कलक्टर समझे कि यह पच बेईमान है तो उसे हटा सकता है।

हमारे प्रान्त में सरकार हाल ही में एक नया हुकूमत बिल पास करके पचायतों को नये अधिकार देने के बारे में निश्चय कर चुकी है। उस बिल के बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है, पर यह समझा जाता है कि उससे पचायत को न्याय तथा शिक्षा-सम्बन्धी बड़े अधिकार प्राप्त हो जायँगे।

थोड़े पैसों में ज़्यादा भोजन

देहातवालों को और दूसरे ग़रीब लोगों को थोड़े पैसे में ठीक और पूरा भोजन कैसे मिले, इस सवाल का हल करना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो भी थोड़े पैसों में ज़्यादा भोजन लेने के कुछ नियम यहाँ देते हैं। इन पर ध्यान देकर अमल करने से घर की हालत बहुत सुधर सकती है।

(१) गेहूँ की जगह मक्का, बाजरा या बेझड़, गोजई आदि इस्तेमाल कीजिए। इटली के लोगों का भोजन केवल मक्का, तेल और हरा साग है। उन्हें न तो दूध मिलता है, न वे मांस, अण्डा वग़ैरह कुछ खाते हैं, तो भी तन्दुरुस्त हैं।

(२) घी की जगह तेल और साग (पत्तेदार भाजी) इस्तेमाल करिये। घी में विटामिन 'ए' होता है जो तेल में नहीं होता। साग में विटामिन 'ए' खूब होता है। इसलिए साग में तेल मिलाकर खाने से तेल की विटामिन 'ए' की कमी पूरी हो जाती है। करमकल्ले में खूब तेल डालकर खाने से दूध का-सा असर पैदा होता है। एक पाव करमकल्ले में पकाते समय ½ पाव तक तेल डाला जा सकता है, पत्ते तेल को सोख लेंगे।

---

* इस लेख की लेखिका लखनऊ के डाक्टर एस० जे० सिंह एम० ए०, बी० एस० सी०, एम० डी० (लन्दन) की बहन हैं।

(३) दूध न मिल सके तो मट्ठा या मखनिया (मक्खन निकला हुआ) दूध इस्तेमाल करना चाहिए। मखनिया दूध में उतना ही बढ़िया तेल का प्रोटीन होता है जितना कि दूध में। मखनिया दूध का पौडर भी मिलता है जिसमें केवल पानी मिलाने से मखनिया दूध बन जाता है। यह काफ़ी सस्ता मिलता है। जो लोग दूध न खरीद सकते हों उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। परन्तु यह याद रहे कि ताजा और धारोष्ण दूध सबसे अच्छा है। ऐसा दूध चाहे थोड़ा ही लिया जाय, बिलकुल न लेने से थोड़ा लेना ही अच्छा है।

(४) बूरा और शक्कर के बजाय गुड़ खाना चाहिए। गुड़ में विटामिन 'ए' होता है जो बूरे में नही होता। गुड़ पाखाना साफ़ लाता है।

(५) मास कम खाना चाहिए। यह ख़याल कि मांस खाने से शरीर में ज़्यादा ताक़त आती है, ठीक नहीं है। मांस ज़्यादा खाने से पसीना ज़्यादा आता है और कई रोग हो जाते है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आप अपने घर के लिए कम से कम प्रति आदमी आधा सेर दूध नही खरीद लेते तब तक मांस न खरीदा जाय।

(६) हर मौसेम का भोजन उन्हीं पदार्थों में से बनाना चाहिए जो उस मौसम में मिलते हो। जब जिस चीज़ की फ़सल होती है तब वह चीज़ प्रायः सस्ती मिल जाती है।

(७) सस्ते फल और साग खूब खाना चाहिए।

अंगूर, सेब आदि में ज़्यादा ताकत होती है, ग़लत है। इनमें विटामिन की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होती। अमरूद, जामुन आदि सस्ते फल मँहगे फलों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। भोजन बनाने के सस्ते पदार्थों को सस्तेपन के कारण बुरा न समझना चाहिए। 'जितना महँगा उतना अच्छा' अथवा 'जितना सस्ता उतना बुरा' वाली कहावत भोजन के लिए ठीक नहीं है।